

केन्द्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के संबंध में विवरण

वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15

किसी भी कर कानून का मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चों को वित्तपोषित करने के लिए राजस्व जुटाना होता है। जुटाए गए राजस्व की राशि मुख्यतः सामूहिक कर आधार और प्रभावी कर दरों पर निर्भर होती है। इन दो कारकों का पता विभिन्न उपायों-विशेष कर दरों, छूटों, कटौतियों, रियायतों, आस्थगनों और क्रेडिटों से चलता है। इन उपायों को मिला 'कर प्रोत्साहन' या 'कर तरजीह' कहा जाता है। इनका सरकारी राजस्व पर एक प्रभाव होता है और ये सरकार की महत्वपूर्ण नीति को परिलक्षित करते हैं।

कर नीति विशेष कर प्रोत्साहनों का प्रावधान करती है जो कर तरजीहों को उत्पन्न करती है। ऐसी कर तरजीहों का राजस्व पर एक निश्चित प्रभाव पड़ता है तथा इन्हें तरजीही करदाताओं को दी जाने वाली अप्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में देखा जा सकता है। इन्हें 'कर व्यय' भी कहा जाता है। प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि कर नीति न केवल कारगर बल्कि पारदर्शी भी होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि कार्यक्रम आयोजना जिसमें राजस्व पर प्रभाव डालने वाले प्रोत्साहनों का प्रयोग करके विशिष्ट नीतिगत उद्देश्यों को पूरा करना अपेक्षित होता है, उसे सुस्पष्ट और पारदर्शी होना चाहिए और बजट निर्माण कार्यक्रम में ऐसे अप्रत्यक्ष परिव्ययों (या राजस्व प्रभाव) को उनके सम्बन्धित कार्यक्रम शीर्षों के अन्तर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता है। राजस्व पर किसी भी रूप में प्रभाव डालने वाले कर प्रोत्साहन अपने आप में कर संविधि में सन्निहित व्यय संबंधी कार्यक्रम हैं।

वर्तमान विवरण केन्द्रीय कर प्रणाली के तहत उपलब्ध कर प्रोत्साहनों के राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव का एक विश्लेषण है। कर प्रोत्साहनों के ऐसे राजस्व प्रभाव को पहली-बार संसद के समक्ष बजट 2006-07 के दौरान प्राप्ति बजट 2006-07 के अनुबंध-12 के रूप में परिव्यक्त राजस्व का विवरण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। इसका सभी ने स्वागत किया और इससे राजकोषीय नीति से सम्बन्धित सम्पूर्ण मुद्दों पर रचनात्मक परिचर्चा सम्भव हो पायी। इससे सरकार की कर नीति और कर व्ययों के मामले में पारदर्शिता लाने के इरादे पर भी विश्वसनीयता की मुहर लगी। इस विवरण के दूसरे संस्करण को बजट 2007-08 के दौरान संसद के समक्ष प्राप्ति बजट के अनुबंध-12 के माध्यम से तथा "परिव्यक्त राजस्व का विवरण" नामक एक पृथक बजट प्रलेख के रूप में भी प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद इसे बजट 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वर्तमान वर्ष में इसे "केन्द्रीय कर प्रणाली के तहत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का विवरण" के रूप में अधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित किया गया है क्योंकि जो वास्तविक रूप में विश्लेषित किया जा रहा है, वह राजस्व प्रभाव ही है।

पिछले नौ वर्षों की भांति यह दस्तावेज उन कर प्रोत्साहनों अथवा कर सब्सिडियों के राजस्व प्रभाव को सूचीबद्ध करता है जो केंद्र सरकार की कर प्रणाली का हिस्सा है। ऐसे कर प्रोत्साहनों के कारण राजस्व प्रभाव का अनुमान अधिकांश "कर अधिमानताओं" के संबंध में किया गया है। यह अनुमान वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए है और यही सब से हाल का वर्ष है, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं। फिर भी, वित्तीय वर्ष 2013-14 के कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए एक प्रयास किया गया है।

कर व्ययों का अनुमान निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर किया गया है:

- (क) अनुमानों और पूर्वानुमानों का आशय उन संभावित राजस्व प्राप्तियों को दर्शाना है जो छूटों, कटौतियों, भारत कटौतियों और इसी प्रकार के उपायों को हटा कर उगाहे जा सकेंगे। ये अनुमान अल्पावधिक प्रभाव विश्लेषण पर आधारित हैं। वे इस मान्यता पर तैयार किये जाते हैं कि इन उपायों को हटाने से अन्तर्निहित कर आधार प्रभावित नहीं होगा। जिस सीमा तक आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार, समग्र आर्थिक क्रियाकलाप और अन्य सरकारी नीतियों में विशिष्ट कर तरजीहों के निरसन के साथ बदलाव आ सकता है उसी सीमा तक राजस्व फलितार्थ भिन्न हो सकते हैं।
- (ख) प्रत्येक कर रियायत के प्रभाव का निर्धारण, यह मानते हुए कि अन्य सभी कर उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे, पृथक रूप से किया जाता है। तथापि अनेक कर रियायतें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अतः, कर प्रोत्साहनों का अन्योन्य क्रिया मिश्रित प्रभाव प्रत्येक प्रावधान के लिए अनुमानों और पूर्वानुमानों को जोड़ कर परिकलित राजस्व प्रभाव से भिन्न हो सकता है।

हालांकि राजस्व प्रभाव की मात्रा को कर व्यय के संदर्भ में बताया गया है किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राजस्व की इस मात्रा को सरकार द्वारा छोड़ दिया गया है। इसके विपरीत इन्हें कतिपय क्षेत्रों को बढ़ावा देने हेतु लक्षित व्यय के रूप में देखा जा सकता है। कुछेक मामलों में कर व्यय के माध्यम से ऐसी अप्रत्यक्ष सब्सिडी द्वारा प्रोत्साहित आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाकलाप ऐसे प्रोत्साहनों के न मिलने पर संभवतः नहीं हो पाते या इतने बड़े स्तर पर नहीं हो पाते। विभिन्न कर प्रोत्साहनों के कारण कर व्यय का अनुमान लगाने के लिए अपनाई गई धारणाओं और पद्धतियों का उल्लेख इस विवरण के संबंधित भाग में किया गया है।

प्रत्यक्ष कर

आय कर अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ निर्यातों; संतुलित क्षेत्रीय विकास; आधारभूत ढांचागत सुविधाओं की स्थापना; रोजगार; ग्रामीण विकास; वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास; तथा सहकारी क्षेत्र तथा व्यक्तियों द्वारा बचत और धर्मार्थ कार्यों के लिए दान को प्रोत्साहित करने के लिए कर प्रोत्साहनों का प्रावधान है। पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहन के रूप में, त्वरित मूल्यहास की भी व्यवस्था की जाती है। इन कर लाभों में से अधिकांश का फायदा कम्पनी और गैर-कम्पनी करदाताओं दोनों द्वारा उठाया जा सकता है। इस विवरण में उपर्युक्त क्षेत्रों नामतः (क) कंपनियां; (ख) फर्मों, व्यक्तियों के संघ, व्यष्टियों के निकाय आदि तथा; (ग) व्यष्टियों एवं अविभाजित हिन्दू परिवारों के लिए पृथक रूप से कर प्रोत्साहनों का राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है। धर्मार्थ या सामाजिक प्रयोजन की गतिविधियों में संलिप्त संस्थाओं का ब्यौरा भी भाग (घ) में दिया गया है। शीर्ष जिनके अंतर्गत राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाया गया है, वे मोटे तौर पर कंपनियों एवं फर्मों आदि दोनों के लिए समान हैं। तथापि, व्यष्टियों के मामले में, कतिपय अन्य शीर्षों को भी सम्मिलित किया गया है क्योंकि ये उनसे ही संबंधित हैं। कॉरपोरेट क्षेत्र हेतु विवरण अलग-अलग लाभ के स्लैबों में कंपनियों हेतु प्रभावी कर दरों के फैलाव का भी विश्लेषण करते हैं। प्रभावी कर दरों का क्षेत्रवार विश्लेषण करने का भी प्रयास किया गया है।

क. कारपोरेट सेक्टर

बड़े कारोबार मुख्यतः कम्पनियों के रूप में संगठित हैं। आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2013-14 (अर्थात् कर निर्धारण वर्ष 2014-15) के लिए 30 नवम्बर, 2014 तक 564787 कम्पनियों से इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत आयकर विवरणियां प्राप्त हुई हैं। प्रत्येक कंपनी द्वारा अपनी विवरणी इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से दाखिल करना अपेक्षित होता है। ये विवरणियां वित्त वर्ष 2014-15 में अनुमानित की गई कुल कंपनी विवरणियों का लगभग 90% बैठती हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर इन कम्पनियों से वित्त वर्ष 2013-14 में उनकी आय पर 2,57,858 करोड़ रूपए (अधिभार एवं शिक्षा उपकर सहित) का कम्पनी कर देय है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान लाभांश वितरण कर के रूप में 25,086 करोड़ रूपए संदेय है।

कर व्यय का अनुमान लगाने के लिए इन 564787 कम्पनियों¹ के आंकड़ों को विश्लेषण हेतु डाटाबेस से हटा दिया गया था तथा इनका ब्यौरा इस विवरण के परिशिष्ट तथा सारणी 1 से 5 तक में दिया गया है। **सारणी-1** में इन कम्पनियों के मुनाफों की सीमाओं की जानकारी दी गई है। आंकड़ों के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आए हैं:

- 31076 कम्पनियों (55.01 प्रतिशत) ने वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कर देने से पहले 11,10,946 करोड़ रूपये का लाभ तथा 7,42,095 करोड़ रूपये की कुल आय (कर योग्य आय)² की जानकारी दी है।
- 228447 कम्पनियों (40.45 प्रतिशत) ने 4,31,401 करोड़ रूपये के नुकसान होने की सूचना दी है।
- 25624 कम्पनियों (4.54 प्रतिशत) ने शून्य लाभ की जानकारी दी है।

इन सम्पूर्ण नमूना आंकड़ों की प्रभावी कर दर³ 23.22 प्रतिशत⁴ थी (जबकि 2012-13 में यह दर 22.44 प्रतिशत सूचित की गई थी) जबकि सांविधिक कर दर 10 करोड़ तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 32.445 प्रतिशत तथा 10 करोड़ रु. से अधिक आय वाली कंपनियों के मामले में 33.99 प्रतिशत थी जिसके फलस्वरूप औसत सांविधिक दर 33.217 प्रतिशत⁵ थी। कम्पनियां, जिनका कर से पहले लाभ (जिसे इसके बाद पीबीटी के रूप में कहा जाएगा), 500 करोड़ रूपये तथा इससे अधिक था, का कुल पीबीटी में 60.29 प्रतिशत हिस्सा था तथा उनके द्वारा दिया जाने वाला कुल कम्पनी आयकर 53.71 प्रतिशत था। तथापि, उनकी प्रभावी कर दर 20.68 प्रतिशत थी, जबकि उन कम्पनियों जिनकी पीबीटी एक करोड़ रूपए तक था, की प्रभावी कर दर 26.89 प्रतिशत थी। छोटी कंपनियों हेतु प्रभावी कर की यह दर जो कम्पनियों में सांविधिक दर के निकट है वह लाभ संबद्ध कटौतियों के धीरे-धीरे कम होने तथा कम्पनियों पर न्यूनतम वैकल्पिक दर की उगाही कर परिणाम है। 23.22 प्रतिशत के संपूर्ण नमूने की प्रभावी दर हालांकि वित्त वर्ष 2012-13 की प्रभावी दर 22.44 प्रतिशत से आंशिक रूप से अधिक है। यह बड़ी कंपनियों के लिए अधिभार को बढ़ाने तथा विभिन्न लाभ संबद्ध कटौतियों को हटाने के कारण भी हुआ है। इसके अलावा, 564787 कम्पनियों के डाटा में कम्पनियों की प्रोफाइल से यह देखा गया कि नुकसान उठाने वाली कम्पनियों की संख्या 2012-13 में 250865 (नमूने का 40.54 प्रतिशत) से 2013-14 में 228447 (नमूने का 40.45 प्रतिशत) तक बढ़ी।

एक करोड़ रूपये तक कर पूर्व मुनाफे वाली कम्पनियों के बारे में कर पूर्व लाभ की कुल आय का अनुपात कुल सैम्पल (66.83 प्रतिशत) के मुकाबले काफी अधिक (88.07 प्रतिशत) है। यह छोटी कंपनियों के लिए काफी उच्चतर 26.89 प्रतिशत की औसत प्रभावी कर दर से भी प्रदर्शित होता है। बड़ी कम्पनियों की तुलना में अपेक्षतया छोटी कम्पनियों के मामले में करों से पहले मुनाफों का यह कम अन्तर प्रदर्शित करता है जो बड़ी कम्पनियों को उपलब्ध कराई जा रही उच्च कर रियायतों के कारण है।

¹ वित्त वर्ष 2012-13 के लिए नमूना आकार 6,18,806था।

² आयकर विवरणी में 'कुल आय' कराधेय आय को निरूपित करती है जैसा कि सामान्य बोलचाल की भाषा में अर्थ निकाला जाएगा।

³ कम्पनियों के मामले में प्रभावी कर दर, करों से पूर्व (पीबीटी) कुल लाभों को संदत्त कुल कर (अधिभार एवं शिक्षा उपकर सहित किन्तु लाभांश वितरण कर व अनुषंगी लाभकर शामिल नहीं है) का अनुपात है एवं प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है।

⁴ लाभांश वितरण कर सहित प्रभावी कर दर 25.47 प्रतिशत थी।

⁵ 10 करोड़ तक की आयवाली कंपनियों के मामले में 32.445 प्रतिशत की कर दर तथा 10 करोड़ रु. से अधिक आयवाली कंपनियों के मामले में 33.99 प्रतिशत की कर दर का औसत निकास कर औसत सांविधिक कर पर निकाली गई है।

सारणी 1: करों से पहले मुनाफों की रेंज वाली सैम्पल कम्पनियों की रूपरेखा (वित्तीय वर्ष 2013-14)(सैम्पल आकार-5,64,787)

क्रम सं.	करों से पूर्व लाभ	कम्पनियों की संख्या	कर-पूर्व लाभों में हिस्सा (% में)	कुल आय में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कारपोरेट आयकर में हिस्सा (% में)	करों से पूर्व लाभ के अनुपात में कुल आय का प्रतिशत (% में)	प्रभावी कर दर (% में) (लाभ के अनुपात में कर)
1	शून्य से कम	228447	0.00	0.48	0.50	-	-
2	शून्य	25624	0.00	2.61	3.98	-	-
3	0-1 करोड़ रूपए	278515	2.94	3.76	3.41	88.07	26.89
4	1-10 करोड़ रूपए	25613	6.94	8.02	7.72	79.72	25.84
5	10-50 करोड़ रूपए	4664	8.99	9.73	9.67	74.63	24.99
6	50-100 करोड़ रूपए	853	5.39	5.62	5.63	72.13	24.29
7	100-500 करोड़ रूपए	808	15.45	15.60	15.38	69.60	23.11
8	500 करोड़ रूपए से अधिक	263	60.29	54.18	53.71	61.96	20.68
9	सभी कंपनियां	564787	100.00	100.00	100.00	66.83	23.22

सारणी 2 में प्रभावी कर दरों के संदर्भ में नमूना कम्पनियों की रूप रेखा दी गयी है। इस बात पर गौर किया गया कि 20 प्रतिशत तक की औसत प्रभावी दर वाली 314661 कम्पनियों का हिस्सा कर-पूर्व कुल लाभ का 39.39 प्रतिशत तथा कुल कर योग्य आय का 15.42 प्रतिशत और कुल संदत्त कर का 14.18 प्रतिशत बैठता था। दूसरे शब्दों में अधिकांश कम्पनियों (314661) अर्थात् कुल कम्पनियों के 55.71 प्रतिशत हिस्से ने अपने लाभों की तुलना में कर की काफी कम राशि का योगदान दिया। आश्चर्य की बात है किन्तु कुल लाभ का 4.56 प्रतिशत तथा कुल करों का 10.15 प्रतिशत वाली 30859 कम्पनियों की प्रभावी कर दर 33.217 प्रतिशत की औसत सांविधिक दर के लगभग बराबर थी। यह कम्पनियों में कर देयता के असमान वितरण को दर्शाता है। यह मुख्यतः संविधान में विभिन्न कर तरजीहों के कारण हैं।

सारणी 2 : नमूना कम्पनियों की प्रभावी कर-दर* की रूपरेखा (वित्तीय वर्ष 2013-14)(नमूना आकार-5,64,787)

क्रम सं.	प्रभावी कर दर (% में)	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा (% में)	कुल आय में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कर में हिस्सा (% में)
1	शून्य से कम तथा शून्य	2,83,640	10.32	1.08	0.50
2	0-20	31,021	29.07	14.34	13.68
3	20-25	17,188	12.70	12.74	12.29
4	25-30	30,350	14.27	17.19	17.03
5	30-33	1,46,105	29.08	42.42	42.37
6	>33	30,859	4.56	9.62	10.15
7	अनिर्धारित (पीबीटी=0)	25,624	0.00	2.61	3.98
8	कुल	5,64,787	100.00	100.00	100.00

* प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल हैं।

सारणी 3 में सरकारी कम्पनियों (केवल पीएसयू) की प्रभावी कर दर की तुलना निजी कम्पनियों से की गयी है। हांलाकि दोनों श्रेणियों की दर सांविधिक दर के मुकाबले कम है, फिर भी निजी क्षेत्र की कम्पनियां सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों की तुलना में अपने मुनाफे की बहुत बड़ी राशि कर के रूप में देती हैं।

सारणी 3 : सरकारी और निजी क्षेत्रों में सैम्पल कम्पनियों की प्रभावी कर दर* (वित्त वर्ष 2013-14) (नमूना आकार-5,64,787)

क्रम सं.	क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कर में हिस्सा (% में)	प्रभावी कर दर (% में)
1	सार्वजनिक	221 [#]	23.80	19.82	19.33
2	निजी	564566	76.20	80.18	24.44
	योग	564787	100.00	100.00	23.22

* प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है।

कर-निर्धारिती कम्पनियों (पीएसयू) द्वारा उनकी विवरणियों में दी गई सूचना पर आधारित।

सारणी 4 में सैम्पल कम्पनियों के मामले में विनिर्माण क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र के मध्य में तुलना दर्शायी गई है। विनिर्माण क्षेत्र की प्रभावी दर (21.96 प्रतिशत) सेवा क्षेत्र की प्रभावी कर दर 24.37 प्रतिशत की तुलना में कम है। इन दोनों क्षेत्रों की प्रभावी कर दर है जो 33.217 प्रतिशत की सांविधिक दर से काफी कम है।

सारणी 4 : विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में सैम्पल कम्पनियों की प्रभावी कर दर* (वित्त वर्ष 2013-14) (नमूना आकार - 5,64,787)

क्रम सं.	क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कर में हिस्सा (% में)	प्रभावी कर दर (% में)
1	विनिर्माण	130043	47.67	45.09	21.96
2	सेवा	434744	52.33	54.91	24.37
	योग	564787	100.00	100.00	23.22

* प्रभावी कर दर में अधिभार तथा शिक्षा उपकर शामिल है।

सारणी 5 वित्त वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान हुए कर व्यय के संबंध कम्पनी करदाताओं पर प्रमुख कर व्ययों के ब्यौरे देती है। यह विश्लेषण 30 नवम्बर, 2014 तक दाखिल की गई कम्पनी विवरणियों पर आधारित है जो वित्त वर्ष 2014-15 में अपेक्षित विवरणियों का 90 प्रतिशत है। तथापि, कम्पनियों द्वारा विवरणी दाखिल करने की देय तिथि 30 नवम्बर या उससे पूर्व है तथा विश्लेषित अधिकांश कर रियायतों द्वारा ऐसे प्रोत्साहन के दावे के प्रयोजनार्थ विवरणी का देय तिथि से पूर्व दाखिल किया जाना अपेक्षित होता है। अतः नमूना आंकड़ों में कर व्यय में किसी भी प्रकार से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इन कम्पनियों द्वारा दावा की गई प्रत्येक कर रियायत से होने वाले कर प्रभाव की गणना, प्रत्येक कटौती की राशि पर 33.217 प्रतिशत की कारपोरेट कर दर को लागू करके की गई है। बढ़े हुए मूल्य ह्रास, वैज्ञानिक अनुसंधान पर हुए व्यय पर कटौती/भारित कटौती तथा जनता के सामाजिक और आर्थिक उन्नयन हेतु पात्र परियोजनाओं/स्कीमों पर कटौती के कारण हुए राजस्व प्रभाव की गणना, कम्पनियों के लाभ और हानि लेखों में डेबिट किए गए मूल्य ह्रास/कटौती और आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत्य मूल्यह्रास/कटौती के अन्तर से की जाती है। इसके पश्चात कर व्यय के आंकड़े पर आने के लिए इस अन्तर पर आयकर की 33.217 प्रतिशत की दर, लागू की गई है।

कर व्यय का एक और पहलू कर आस्थगन है। कर आस्थगन तब होता है, जब कर दाता को कर सांविधि के अन्तर्गत उच्चतर कटौतियों की अनुमति दिए जाने के कारण, वह लघु अवधि के लिए कटौती के रूप में एक भत्ते (उदाहरण मूल्यह्रास भत्ता) का दावा करते हुए अपनी कर देयता को अस्थगित कर सकता है, जहां वह उसी मूल्य ह्रास के दावे को अपने लेखे में कई वर्षों में दिखा रहा होता। चूंकि मूल्य ह्रास से इस तरह रोकड़ प्राप्त नहीं होता, इसे कर आस्थगन कहते हैं। दूसरी ओर कर सांविधि के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों पर लगने वाला न्यूनतम वैकल्पिक कर, कम्पनी द्वारा अपने शेयर धारकों को दिए गए लाभ (कुछ समायोजनों के अधीन) पर देयता (वर्ष 2013-14 के सम्बंध में बुक लाभ पर अधिभार और उपकर सहित 20.96 प्रतिशत की दर से) लगाता है यदि यह देयता सामान्य दरों पर संगणित कर देयता से अधिक है। न्यूनतम वैकल्पिक कर के सम्बंध में अधिक देयता की अनुमति, क्रेडिट (10 वर्ष तक) के रूप में उस अगले वर्ष तक दी जाती है जिसमें सामान्य कर देयता, न्यूनतम वैकल्पिक कर से अधिक हो। अतः न्यूनतम वैकल्पिक कर के सम्बंध में अदा किया गया अतिरिक्त कर, भावी कर देयता का अग्रिम भुगतान है। यह मूल्य ह्रास के दावों के कारण कर आस्थगन की अवधि को सीमित करता है तथा इसी दावे को लम्बी अवधि में बांटते हुए लाभ से जुड़ी कटौतियों जैसी अन्य कटौतियों के, कर प्रभाव को कम करता है।

वित्त वर्ष 2013-14 के कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2014-15 का कर व्यय परिलक्षित किया गया है। वर्ष 2014-15 के सम्बंध में आंकलन, संशोधित अनुमान के अनुसार वर्ष 2014-15 में परिलक्षित कारपोरेट कर वृद्धि द्वारा 2013-14 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर कर व्यय को गुणा करते हुए किया गया है। सारणी 5, वित्त वर्ष 2013-14 के संबंध में कर व्यय की शर्तों के अनुसार कारपोरेट कर दाताओं पर प्रमुख कर व्यय और वित्त वर्ष 2014-15 का परिलक्षण दर्शाती है।

सारणी 5: वित्त वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान कार्पोरेट करदाताओं पर प्रमुख प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव
(सैम्पल आकार - 5,64,787)

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2013-14)	संभावित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2014-15)
1	विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10क एवं 10कक)	17036.0	18393.7
2	बढ़ा हुआ मूल्य ह्रास (धारा 32)	34278.3	37010.0
3	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) तथा 2कख)	7527.1	8127.0
4	जनता के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए पात्र परियोजनाओं या स्कीमों पर व्यय के लिए कटौती (धारा 35कग)	143.5	155.0
5	विशिष्ट करोबार के लिए कटौती (धारा 35कघ)	1054.2	1138.2
6	धर्मार्थ न्यासों तथा संस्थाओं को दान पर कटौती (धारा 80छ)	506.7	547.1
7	वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दान पर कटौती (धारा 80छछक)	1.5	1.7
8	राजनीतिक दलों को अंशदान देने पर कटौती (धारा 80छछख)	47.5	51.3
9	अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	3171.2	3423.9
10	विशेष आर्थिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	454.6	490.8
11	दूरसंचार सेवाओं को उपलब्ध कराने में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	1431.1	1545.1
12	विद्युत के उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं वितरण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	9824.0	10606.9
13	विद्युत संयंत्र के पुनः प्रचलन में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	112.9	121.8
14	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुसरण में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झकख)	1381.9	1492.0
15	जम्मू एवं कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	234.2	252.9
16	जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	23.4	25.3
17	पिछड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	2.6	2.8
18	वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास से औद्योगिक क्षेत्रों के होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	63.7	68.8
19	खनिज तेलों और प्राकृतिक गैस के उत्पादन से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	6244.8	6742.4
20	आवासीय परियोजनाओं से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	180.1	194.4
21	शीत श्रृंखला सुविधा के प्रचालन से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	1.6	1.8
22	खाद्य अनाजों की संभाल, भंडारण एवं परिवहन के एकीकृत व्यवसाय से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	86.5	93.3
23	फलों एवं सब्जियों के संसाधन, परिरक्षण एवं पैकेजिंग से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	205.2	221.5
24	ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सालय से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	1.8	2.0

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2013-14)	संभावित राजस्व प्रभाव(करोड़ रुपए में) (2014-15)
25	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	676.8	730.4
26	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	873.7	943.3
27	उत्तरांचल में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	3689.8	3983.8
28	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	1688.2	1822.8
29	जैविक रूप से नष्ट होने वाले व्यर्थ पदार्थों के एकत्रीकरण एवं संसाधन के व्यवसाय से होने वाले लाभों की कटौती (80 जजक)	30.2	32.6
30	नये कामगारों के नियोजन के संबंध में कटौती (80 जजकक)	159.9	172.6
31	विदेशी बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की कतिपय आय के संबंध में कटौती (80ठक)	9.4	10.2
32	विशिष्ट क्षेत्रों में होटलों कन्वेंशन सेंटर के सम्बंध में कटौती (धारा 80 झघ)	1.8	2.0
33	कुल योग	91144.2	98407.6
34	न्यूनतम वैकल्पिक कर के कारण कम अतिरिक्त कर देयता- = 40251.8		
	न्यूनतम वैकल्पिक कर के लेखे के दावे द्वारा कमी- = 6900.6		
	न्यूनतम वैकल्पिक कर के परिणाम स्वरूप सकल अतिरिक्त कर= 33351.2	33351.2	36009.0
	कुल	57793.0	62398.6

यद्यपि पिछले वर्ष के विवरण में 2013-14 के लिए प्रक्षेपित कर व्यय (न्यूनतम वैकल्पिक कर के भुगतान के कारण अतिरिक्त कर को छोड़कर) 1,02,606.4 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था, जो अब वास्तविक गणना के पश्चात 91144.2 करोड़ रुपए है। एमएटी के परिणामस्वरूप संग्रहित अतिरिक्त कर को ध्यान में रखते हुए, कर प्रोत्साहन का वास्तविक राजस्व प्रभाव 76,116.3 करोड़ रुपए के संभावित कर व्यय के लिए 57793.0 करोड़ रुपए काफी कम है। इसका एक कारण यह है कि इस वर्ष एमएटी के तरीके द्वारा संग्रहीत अतिरिक्त कर देयता वित्त वर्ष 2012-13 के लिए 29,474 करोड़ रुपए से काफी अधिक 40,251.8 करोड़ रुपए है।

बढ़ा हुआ मूल्य ह्रास उस लेखा शीर्ष के लिए है जिसके अंतर्गत कर प्रोत्साहन की सर्वाधिक राशि (34278.3 करोड़ रुपए) प्रदान की गई है। विभिन्न क्षेत्रों में, खनिज तेल से जुड़े उपक्रमों, विद्युत के उत्पादन, ट्रान्समिशन तथा वितरण से जुड़े उपक्रमों आधारभूत संरचना सम्बंधी सुविधाओं के विकास से जुड़े उपक्रमों तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अवस्थित इकाइयों द्वारा की गई कटौती कुल कर प्रोत्साहन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।

पिछले वर्ष की विवरणी में वित्त वर्ष 2013-14 के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित यूनितों के निर्यात लाभ पर कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव 14,992 करोड़ रुपए संभावित था। तथापि, अब उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इन इकाइयों पर वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान वास्तविक राजस्व कर प्रोत्साहन प्रभाव अब 17036 करोड़ रुपए परिकलित किया गया है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए इन इकाइयों के लिए कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव 18393.7 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। वित्त वर्ष 2013-14 के अनुमानित राजस्व प्रभाव की तुलना में वित्त वर्ष 2013-14 के वास्तविक कर प्रभाव में बढ़ोतरी होने के मद्देनजर, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अवस्थित इकाइयों के संबंध में वित्त वर्ष 2014-15 के वास्तविक राजस्व प्रभाव आकलन से अधिक हो सकता है।

कम्पनियों की प्रभावी कर दर का उद्योग-वार वितरण इस विवरणी के परिशिष्ट की सारणी में दिया गया है। निम्न रेंज में सीमेंट और कागज उद्योग की प्रभावी कर दर क्रमशः 5.84 प्रतिशत तथा 13.80 प्रतिशत है। खनन संविदाकारों की प्रभावी कर दर भी 7.23 प्रतिशत पर काफी कम है। इसी तरह पट्टे कंपनियों की प्रभावी कर दर भी 1.84 प्रतिशत पर काफी कम है।

ख. गैर-कारपोरेट (फर्म/ए.ओ.पी/बीओआई) सेक्टर

कार्पोरेट क्षेत्र के अलावा साझेदारी फर्मों, तथा व्यक्तियों के संघ (एओपी) अथवा व्यक्तियों के निकाय (बीओआई) के रूप में भी बड़े व्यवसाय संचालित किए जाते हैं। इन पर कर व्यय कंपनियों जितना अधिक नहीं है। वित्त वर्ष 2013-14 की आय के लिए आयकर विभाग ने 30 नवम्बर, 2014 तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दायर की गई 678152 विवरणियां प्राप्त की हैं। कर व्यय का अनुमान लगाने के प्रयोजनार्थ, आयकर विभाग के डेटाबेस से 678152 फर्मों/एओपी/बीओआई से संबंधित डेटा चुना गया। वित्त वर्ष 2013-14 में फर्मों/एओपी/बीओआई की समष्टि द्वारा संदत्त कर बहुत बड़े हिस्से का कारण है।

इस डेटा का विश्लेषण किया गया तथा निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आए:

- नमूना फर्मो/एओपी/बीओआई ने वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कर पूर्व लाभ के रूप में 91417 करोड़ रुपए की सूचना दी तथा 80814 करोड़ रुपए की कुल आय (कराधेय आय) की घोषणा की। 71674 विवरणियों में हानि दर्शाई गई जो नमूने का 10.56 प्रतिशत है।
- इन नमूना फर्मो/एओपी/बीओआई ने वित्त वर्ष 2013-14 के लिए संदेय आयकर के रूप में **(शिक्षा उपकर सहित) 25634** करोड़ रुपए सूचित किया है। उनके मामले में प्रभावी कर दर 28.04 प्रतिशत बनती है।

नमूना फर्मो/एओपी/बीओआई द्वारा दावाकृत प्रत्येक कर रियायत पर, राजस्व प्रभाव की गणना, प्रत्येक कटौती की राशि पर 30.90 प्रतिशत (30 प्रतिशत जमा 3 प्रतिशत अधिभार) की आयकर दर लागू की गई है। बढ़े हुए मूल्य ह्रास; वैज्ञानिक अनुसंधान पर हुए व्यय पर कटौती/भारित कटौती; जनता के सामाजिक और आर्थिक उन्नयन की पात्र परियोजनाओं/स्कीमों पर कटौती और व्यय के कारण कर व्यय की गणना, फर्मो/एओपी/बीओआई के लाभ और हानि लेखों में डेबिट किए गए मूल्य ह्रास/कटौती और आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत्य मूल्यह्रास/कटौती के अन्तर से की जाती है। इसके पश्चात प्रत्येक कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव पर आने के लिए इस अन्तर पर आयकर की 30.90 प्रतिशत की दर, लागू की गई है।

वित्त वर्ष 2013-2014 के लिए प्रत्येक कर प्रोत्साहन के लिए राजस्व प्रभाव के आधार पर, वित्त वर्ष 2014-2015 के लिए राजस्व प्रभाव का अनुमान किया गया है। 2014-2015 के लिए अनुमान को वर्ष 2013-2014 में संग्रहित वास्तविक आयकर के 2014-2015 के संशोधित अनुमानों के अनुसार वास्तविक आय कर संग्रहणों के अनुपात की गणना और 2013-2014 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन के कारण कर व्यय के उसी अनुपात को लागू करके तैयार किया गया है। उच्चतम कर व्यय सहकारी सोसाइटियों के लाभों की कटौती के कारण है जोकि इस क्षेत्र में कुल राजस्व प्रभाव का 40.33 प्रतिशत है। उत्तर पूर्वी राज्यों, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड में उपक्रमों द्वारा व्युत्पन्न लाभों की कटौती के कारण कर व्यय कुल कर व्यय का 21.42 प्रतिशत था।

सारणी 6 : वित्त वर्ष 2013-14 और 2014-1415 के दौरान फर्मो/एओपी/बीओआई करदाताओं हेतु प्रमुख कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव (नमूना आकार-6,78,152)

क्रम सं.	प्रोत्साहन कटौती का स्वरूप	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए) (2013-14)	संभावित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए) (2014-15)
1	विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10क एवं 10कक)	369.3	423.5
2	बढ़ा हुआ मूल्यह्रास (धारा 32)	542.7	622.4
3	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) तथा 2कख)	23.9	27.4
4	जनता के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए पात्र परियोजनाओं या स्कीमों पर व्यय के लिए कटौती (धारा 35कग)	10.3	11.8
5	निर्दिष्ट कारबार के संबंध में कटौती 35कघ	86.4	99.1
6	धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थाओं को दान पर कटौती (धारा 80छ)	49.1	56.3
7	राजनीतिक दलों को अंशदान के कारण कटौती (धारा 80छछग)	7.3	8.4
8	अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक)	50.2	57.6
9	विशेष आर्थिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झक)	88.2	101.2
10	दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झक)	9.9	11.4
11	विद्युत के उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं वितरण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झक)	143.4	164.4
12	विद्युत संयंत्रों के पुनर्द्धार में लगे उपक्रम के लाभों की कटौती (धारा 80-झक)	5.8	6.7
13	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुसरण में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झकख)	3.3	3.8

क्रम सं.	प्रोत्साहन कटौती का स्वरूप	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए) (2013-14)	संभावित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए) (2014-15)
14	जम्मू एवं कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	26.0	29.8
15	जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	2.0	2.3
16	पिछड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	2.5	2.9
17	आवासीय परियोजनाओं से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	266.0	305.0
18	शीत श्रृंखला सुविधा के परिचालन से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	0.6	0.7
19	खाद्य अनाजों के प्रबंधन, भंडारण एवं परिवहन के एकीकृत व्यवसाय से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	2.0	2.3
20	फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण एवं पैकेजिंग से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	20.3	23.3
21	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	121.7	139.6
22	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	244.2	280.1
23	उत्तरांचल में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	226.9	260.2
24	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	367.2	421.2
25	जैविक रूप से नष्ट होने वाले व्यर्थ पदार्थों के एकत्रीकरण एवं संसाधन के व्यवसाय से होने वाले लाभों की कटौती (80अजक)	3.4	3.9
26	विदेशी बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) की कतिपय आय के संबंध में कटौती (धारा 80ठक)	0.4	0.5
27	विशिष्ट क्षेत्रों में होटलों और सम्मेलन केन्द्रों के संबंध में कटौती (धारा 80झघ)	1.4	1.6
28	सहकारी समितियों के लाभों की कटौती (धारा 80त)	1807.9	2073.6
29	योग	4482.3	5141.0

(ग) व्यष्टि करदाता:

आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क में मुख्यतः कतिपय भुगतानों और कतिपय आय पर कटौती का प्रावधान है। व्यष्टि करदाता इन कटौतियों का दावा करने के लिए पात्र हैं तथा उनको व्यापक श्रेणी की कर प्राथमिकताएं उपलब्ध हैं। तथापि, 50 प्रतिशत व्यष्टि करदाता अपनी आय मुख्यतः वेतन से प्राप्त करते हैं, इसलिए उनके द्वारा लाभ से जुड़ी कटौतियों (अर्थात् कतिपय व्यवसाय आय पर कटौती) का दावा नहीं किया जाता है। दूसरी ओर, गैर-वेतनभोगी व्यष्टियों का समूह दोनों प्रकार की कटौतियों का दावा करता है।

व्यष्टि करदाताओं को प्रदान किए गए विभिन्न कर लाभों के कारण राजस्व प्रभाव के अनुमान सारणी 7 में दिए गए हैं। आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क के विभिन्न खंडों के अंतर्गत कर प्रभाव का अनुमान 30 नवम्बर, 2014 तक आयकर विभाग के पास व्यष्टियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में दाखिल 1,79,72,169 विवरणियों में कर प्राथमिकताओं के लिए विभिन्न दावों के आधार पर किया गया है। अध्याय VI-क के अलावा वित्त वर्ष 2013-14 में व्यष्टि करदाताओं पर अन्य मुख्य कर व्यय वरिष्ठ नागरिकों (60 या उससे अधिक वर्ष की आयु के व्यष्टि) के लिए उच्च बुनियादी छूट सीमाओं तथा अति वरिष्ठ नागरिकों (अस्सी या उससे अधिक वर्ष की आयु के व्यष्टि) के लिए 5,00,000 रु. की बढ़ाई गई छूट सीमा के कारण था।

1,79,72,169 आयकर विवरणियों के नमूनों के आंकड़ों के आधार पर करदाताओं की पूरी संख्या के लिए कर व्यय का अनुमान निम्न प्रकार से किया गया है:-

- (i) यथोक्त (सारणी 7 की क्रम सं0 24 एवं 25) उच्च बुनियादी छूट सीमाओं के कारण राजस्व प्रभाव का परिकलन प्रति वरिष्ठ नागरिक एवं अति वरिष्ठ नागरिक के कर व्यय को उनकी संबंधित संख्या से गुणा करके किया गया है। उनकी संबंधित संख्या का अनुमान उनके द्वारा दाखिल नमूना विवरणियों की प्रतिशतता का परिकलन करके किया गया है। इसके पश्चात इस प्रतिशतता को वित्त वर्ष 2013-14 के लिए व्यष्टियों द्वारा दाखिल विवरणियों की कुल संख्या के अनुमान पर लागू किया गया है। 30 नवम्बर, 2014 तक आयकर विभाग के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल कुल नमूना विवरणियों की संख्या 1,79,72,169 है। वित्त वर्ष 2012-13 के लिए दाखिल 3,39,72,584 विवरणियों के अनुमान की तुलना में 5 प्रतिशत की वृद्धि दर मानकर वित्त वर्ष 2013-14 के लिए व्यष्टियों द्वारा दाखिल विवरणियों की कुल संख्या 3,56,71,213 होने का अनुमान है। नमूना विवरणियों के अनुसार 9.40 प्रतिशत विवरणियां वरिष्ठ नागरिकों द्वारा तथा 0.5 प्रतिशत विवरणियां अति वरिष्ठ नागरिक द्वारा दाखिल की गईं। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध उच्चतर छूट सीमा के राजस्व प्रभाव का परिकलन सामान्य छूट सीमा 2,00,000 रु. और उच्चतर बुनियादी छूट सीमा (अर्थात् 2,50,000 रु.) के बीच अन्तर को ध्यान में रखकर तथा उस पर 10 प्रतिशत जमा अधिभार) को सबसे कम दर को लागू करके किया गया है। प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए कर व्यय 5,150/- रु. है। अति वरिष्ठ नागरिक के लिए छूट सीमा 5,00,000/- रु. है और 30,900 (अधिभार सहित) की राशि का ऐसी आय पर संगणित कर साठ वर्ष से कम व्यष्टि द्वारा देय है। इसे प्रत्येक अति वरिष्ठ नागरिक के लिए राजस्व प्रभाव लिया गया है। इसके बाद प्रत्येक ऐसे करदाता (वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक) के कारण कर व्यय 2,00,000/- रु. की सामान्य छूट सीमा से ऊपर ऐसे करदाताओं की संख्या के कुल अनुमान पर प्रक्षेपित किया गया है।
- (ii) विशेष रूप से धारा 80-झक, 80-झकख, 80-झख, 80-झग और 80-झघ (सारणी 7 की क्रम सं. 14 से 18) के अंतर्गत कटौती के मामले में राजस्व प्रभाव या कर व्यय का परिकलन यह मानकर किया गया है कि वास्तविक आंकड़ा इन धाराओं के अंतर्गत व्यष्टियों द्वारा किए गए कुल दावों को दर्शाता है क्योंकि वित्त वर्ष 2013-14 की आय के लिए सभी लेखा-परीक्षित कर विवरणियां अनिवार्य ई-फाइलिंग के अधीन थीं।
- (iii) अन्य सभी मामलों में, सभी करदाताओं के लिये कर व्यय का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया है-
- (क) पहले प्रत्येक आय खंड, जिसके लिए नमूना विवरणियों में पृथक कर दर है, के लिये प्रति करदाता किसी विशेष प्रोत्साहन के लिए औसत कर व्यय की गणना की जाती है।
- (ख) उसके बाद, वित्त वर्ष 2013-14 के लिए व्यष्टियों द्वारा दाखिल विवरणियों की कुल संख्या में उस आय खंड में व्यष्टि करदाताओं की अनुमानित संख्या को प्रत्येक प्रोत्साहन के लिए औसत कर व्यय से गुणा किया जाता है। इससे किसी विशेष प्रोत्साहन हेतु उस आय खंड के लिए कर व्यय प्राप्त होता है। सभी खंडों के लिए कर व्यय के जोड़ से उस विशेष कर प्रोत्साहन के कारण सभी लोगों के लिए कर व्यय प्राप्त होता है।
- (iv) वित्त वर्ष 2013-14 के कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2014-15 के लिए कर व्यय का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2014-15 के लिए अनुमान, वर्ष 2014-15 के संशोधित अनुमान के अनुसार संग्रहीत वैयक्तिक आयकर के अनुपात को वर्ष 2013-14 में संग्रहीत वास्तविक वैयक्तिक आयकर की गणना करके उस अनुपात को 2013-14 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन के कारण कर व्यय पर लागू करके किया गया है। उपर्युक्त ब्योरे के अनुसार, सारणी 7 वित्त वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान व्यक्तिक कर दाताओं, के लिए मुख्य कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव दर्शाती है।

**सारणी-7 वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15
के दौरान व्यष्टि करदाताओं हेतु प्रमुख कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव**

क्रम सं.	प्रोत्साहन/कटौती की प्रकृति	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये में) (2013-14)	संभावित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये में) (2014-15)
1	कतिपय निवेशों और भुगतानों के कारण कटौती (धारा 80ग)	25491.3	29237.1
2	कतिपय पेंशन निधियों में योगदान के कारण कटौती (धारा 80गगग)	127.3	146.0
3	नई पेंशन योजना में अंशदान के कारण कटौती (धारा 80गगघ)	85.1	97.6
4	आरजीईएसएस में निवेश के कारण कटौती (धारा 80गगछ)	10.2	11.7
5	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के कारण कटौती (80घ)	879.1	1008.3

क्रम सं.	प्रोत्साहन/कटौती की प्रकृति	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये में) (2013-14)	संभावित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये में) (2014-15)
6	विकलांग आश्रित के चिकित्सा उपचार पर व्यय के कारण कटौती (80घघ)	166.9	191.4
7	विनिर्दिष्ट बीमारियों के चिकित्सा उपचार हेतु व्यय के कारण कटौती (80घघख)	84.3	96.7
8	उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (80ड.)	282.5	324.0
9	गृह ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (80डड)	47	53.9
10	धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थानों को दान के कारण कटौती (80छ)	368.7	422.9
11	आवास हेतु चुकाए गए किराए के कारण कटौती (80छछ)	127.9	146.7
12	वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास हेतु दान के कारण कटौती (80छछक)	32.8	37.6
13	राजनीतिक दलों को दिए गए अंशदान के कारण कटौती (80छछग)	27.9	32.0
14	अवसंरचना सुविधाओं, विशेष आर्थिक क्षेत्रों तथा औद्योगिक पार्कों के विकास, विद्युत उत्पादन के कार्य में लगे एवं दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाले उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झक)	58.8	67.4
15	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झकख)	3	3.4
16	आवासीय परियोजनाओं, खनिज तेल के उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास खाद्यान्न के प्रबंधन, भण्डारण एवं परिवहन के एकीकृत करोबार तथा जम्मू एवं कश्मीर एवं अन्य पिछड़े क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झख)	82	94.0
17	पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तरांचल एवं हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झग)	244.2	280.1
18	विशिष्ट क्षेत्रों में होटलों, सम्मेलन केन्द्रों के संबंध में कटौती (धारा 80झघ)	2.4	2.8
19	जैविक रूप से नष्ट होने वाले व्यर्थ पदार्थों के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के कारोबार से लाभों की कटौती (80झजक)	7.8	8.9
20	पाठ्य पुस्तकों के अलावा कतिपय अन्य पुस्तकों के लेखकों की रॉयल्टी आय की कटौती (80थथख)	9.5	10.9
21	पेटेंट पर रॉयल्टी आय की कटौती (80ददख)	0.8	0.9
22	बचत खाते में ब्याज के कारण कटौती (धारा 80ननक)	555.1	636.7
23	विकलांग व्यक्ति के मामले में कटौती (80प)	137.2	157.4
24	वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च छूट सीमा	1456.4	1670.4
25	अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च छूट सीमा	483.6	554.8
	योग	30771.8	35293.6

विभिन्न बचत पत्रों में निवेश, आवास ऋण के मूलधन के पुनर्भुगतान और बच्चों के लिए शिक्षा शुल्क के भुगतान (ये सभी आयकर अधिनियम की धारा 80ग के अंतर्गत आते हैं) पर होने वाला कर व्यय वैयक्तिक करदाताओं के मामले में अकेला सबसे बड़ा कर व्यय है और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (धारा 80घ) के कारण होने वाली कटौती है व बचत बैंक खाता में ब्याज (80 ननक) है। वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च बुनियादी छूट सीमा के कारण होने वाला कर व्यय भी काफी अधिक होता है। जहां तक लाभपरक कटौतियों का संबंध है, सबसे अधिक कर व्यय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80झख और धारा 80झग के कारण है।

(घ) धर्मार्थ संस्थाएं :

आय कर अधिनियम में धर्मार्थ प्रवृत्ति के कार्यों में शामिल सरकारी वित्त पोषित सत्ताओं सहित विभिन्न सत्ताओं के लिए छूट का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, कतिपय कार्यकलापों जोकि सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करती है में शामिल सत्ताओं को विशेष छूट भी उपलब्ध है। ये

सत्ताएं दान, स्वैच्छिक अशंदान भी प्राप्त करती है और धर्मार्थ प्रकृति के कार्यकलापों से इनकी अन्य आय भी है। ऐसी सत्ताओं की कुल प्राप्तियों को उन उद्देश्यों, जिनके लिए इन्हें स्थापित किया गया है, हेतु प्रयोग किया जाना अपेक्षित है। इन सत्ताओं को आय कर विवरणी दायर करनी अपेक्षित होती हैं। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 30 नवम्बर, 2014 तक ऐसी सत्ताओं की इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर विवरणियों की कुल संख्या 99,076 है। भारत में धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त कुल राशि 2,25,472 करोड़ रुपये है।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव सार रूप में निम्नलिखित है:

**सारणी-12 वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15
के दौरान कर प्रोत्साहनों का कर प्रभाव (प्रत्यक्ष कर)**

(करोड़ रुपए में)

	2013-14 में कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव	2014-15 में कर प्रोत्साहनों का संभावित राजस्व प्रभाव
कारपोरेट आय कर	57793.0	62398.6
व्यक्तिगत आय कर	35254.1	40434.6
कुल	93047.1	102833.2

**सारणी-13 वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15
में कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव (अप्रत्यक्ष कर)**

(करोड़ रुपए में)

	2013-14 में कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव	2014-15 में कर प्रोत्साहनों का संभावित राजस्व प्रभाव
उत्पाद शुल्क	1,96,223	1,84,764
सीमा-शुल्क	2,60,714	3,01,688
कुल	4,56,937	4,86,452

वर्ष 2013-2014 में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों (केन्द्र सरकार द्वारा उद्गृहीत) के संबन्ध में उपलब्ध प्रोत्साहनों का सकल राजस्व प्रभाव 549984.1 करोड़ रु. है और 2014-15 के लिए 589285.2 करोड़ रु. अनुमानित है। निष्कर्ष के रूप में वित्त वर्ष 2013-14 के लिए कर प्रोत्साहनों का कुल राजस्व प्रभाव वित्त वर्ष 2012-13 के लिए कुल राजस्व प्रभाव की तुलना में कम है।

अप्रत्यक्ष कर

क. उत्पाद शुल्क

उत्पाद शुल्क को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की प्रथम और द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार लगाया जाता है। कई-कई मामलों में वित्त अधिनियमों के द्वारा यह निर्धारित होता है कि यह शुल्क किस दर से लगाया जाएगा। इन विभिन्न अधिनियमों में विनिर्दिष्ट दरों को उत्पाद शुल्क के “टैरिफ दरों” के नाम से जाना जाता है। केन्द्र सरकार को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5 क (1) के अंतर्गत यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह जनहित में छूट संबंधी अधिसूचनाएं जारी कर सकती है जिससे कि इन अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट टैरिफ दरों से कम दर पर शुल्क का निर्धारण किया जा सकता है। इन छूट अधिसूचनाओं द्वारा विनिर्दिष्ट दरों को “लागू दरों” के नाम से जाना जाता है।

कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव को, इन छूट अधिसूचनाओं के बिना भुगतान किये जाने वाले शुल्क और उक्त अधिसूचना के अनुसार वास्तव में भुगतान किये गये शुल्क के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है-

- जहां कि शुल्क की टैरिफ दर और लागू दर को मूल्यानुसार विनिर्दिष्ट किया जाता है वहां पर;

कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव = माल का मूल्य x (शुल्क की टैरिफ दर- शुल्क की लागू दर)

- जहां कि टैरिफ दर मूल्यानुसार आधारित है लेकिन लागू दर छूट अधिसूचना के अनुसार विनिर्दिष्ट दर से वसूला जाता है वहां पर-

प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव =(माल का मूल्य x शुल्क की टैरिफ दर)-(माल की प्रमात्रा x विनिर्दिष्ट शुल्क की लागू दर)

- जहां कि टैरिफ दर और लागू दर मूल्यानुसार और विशिष्ट दर का योग (कम्बिनेशन) बनता है वहां पर कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव की गणना तदनुसार की जाती है।
- सभी मामलों में जहां कि शुल्क की टैरिफ दर लागू दर के बराबर होती है वहां पर कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव शून्य होगा।

उक्त धारा 5 क (1) के अंतर्गत सामान्य छूट अधिसूचनाओं को जारी करने की शक्ति के अलावा केन्द्र सरकार के पास यह भी शक्ति है कि वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5 क (2) के अंतर्गत कतिपय आपवादिक परिस्थितियों में मामले दर मामले के आधार पर उत्पाद शुल्क से छूट देने के लिए विशेष आदेश जारी कर सकती है। हालांकि, उस सामान्य छूट से भिन्न जो कि केन्द्र सरकार की वित्तीय नीति का अभिन्न हिस्सा होती हैं, ऐसे छूट आदेशों को जारी करने का मुख्य उद्देश्य इन अपवादित परिस्थितियों का समाधान करना होता है। इस प्रकार इस विशेष छूट आदेशों के जारी किये जाने के कारण होने वाले राजस्व प्रभाव की गणना, कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव के आंकड़ों के रूप में नहीं की जा रही है।

देश भर के सभी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर की स्वचालित व्यवस्था (एसीईएस) शुरू की गई है वर्ष 2013-14 के कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव के आंकड़े एसीईएस के आंकड़े पर आधारित हैं जिसमें अन्य बातों के अलावा निर्धारितियों द्वारा भरे गये रिटर्न में दिये गये आंकड़े भी लिए गये हैं। क्षेत्र आधारित छूट योजनाओं को लागू किये जाने के कारण राजस्व प्रभाव को संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोनों से अलग-अलग प्राप्त किया गया था। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2013-14 के कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव अनंतिम रूप से 195679 करोड़ रुपये था [177680 करोड़ रुपये (सामान्य छूट) + 17999 करोड़ रुपये (क्षेत्र आधारित छूट)]।

एसीईएस आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2014-15 के एक हिस्से अर्थात् अप्रैल से अक्टूबर, 2014 के संबंध में सुस्पष्ट पद्धति का प्रयोग करते हुए कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव की गणना की गई है। तदनुसार वित्त वर्ष 2014-15 के संबंध में परित्यक्त राजस्व 184764 करोड़ रुपये अनुमानित है [167480 करोड़ रुपये (सामान्य छूट) और 17284 करोड़ रुपये (क्षेत्र आधारित छूट)]

अप्रैल से अक्टूबर, 2014 के दौरान उत्पाद शुल्क राजस्व संग्रहण में इसके पिछले वर्ष की इसी अवधि में 1.8 प्रतिशत की कमी की तुलना में 184764 करोड़ (अनुमानित) के आंकड़े पिछले वर्ष की 196223 करोड़ के संशोधित आंकड़ों की तुलना में 5.8 प्रतिशत की कमी दिखाते हैं।

जहां तक क्षेत्र आधारित छूटों का संबंध है इस समय दो प्रकार की छूट योजनाएं चल रही हैं-

- (i) धनवापसी पर आधारित (उत्तर-पूर्व तथा जम्मू एवं कश्मीर) और
- (ii) पूर्ण छूट (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड)।

धनवापसी आधारित छूट के मामले में राजस्व प्रभाव की संगणना, व्यक्तिगत इकाईयों को स्वीकृत सभी धन वापसियों के योग के आधार पर की जाती है। जहां तक पूर्ण छूट का संबंध है, परित्यक्त राजस्व की गणना सामान्य लागू दर और वास्तविक रूप से भुगतान किये गये शुल्क (शून्य) के अंतर का प्रयोग करते हुए की जाती है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ड्यूटी व्यवस्था में कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव निम्नलिखित अनुसार है :

सारणी 8 : उत्पाद शुल्क व्यवस्था के अंतर्गत कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव

क्रम सं.	छूट के ब्यौरे	राजस्व प्रभाव (करोड़ में)		
		2013-14	2014-15	
		अनुमानित	संशोधित	(अंतिम)
1	उत्तर पूर्व राज्यों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा गुजरात आधारित छूटें	17,999	18,543	17,284
2	अन्य	1,77,680	1,77,680	1,67,480
	कुल	1,95,679	1,96,223	1,84,764

ख. सीमाशुल्क

वस्तुओं पर सीमाशुल्क, टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट दरों के अनुसार, सीमाशुल्क ड्यूटी सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उदग्रहणीय है। निर्यात पर निर्यात शुल्क, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर सीमा शुल्क, अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उदग्रहणीय है। इसके अतिरिक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में निम्नलिखित के उदग्रहण का प्रावधान है :

- सीमा शुल्क की अतिरिक्त ड्यूटी [धारा 3 की उप-धारा (1)] (जिसे सामान्यतः काउंटर वेलिंग ड्यूटी अथवा सीवी ड्यूटी कहा जाता है), और
- 4 प्रतिशत की दर पर उदग्रहणीय सीमा शुल्क की अतिरिक्त ड्यूटी [धारा 3 की उपधारा (5)] (जिसे सामान्यतः एसएडी कहा जाता है)

इन दरों को टैरिफ दरों के रूप में जाना जाता है। तथापि केन्द्रीय सरकार को लोकहित में अधिसूचनाओं को जारी किये जाने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 (1) के अंतर्गत छूट की शक्तियां सौंपी गई हैं ताकि टैरिफ दरों से कम दर पर ड्यूटी दरें निर्धारित की जा सकें। अधिसूचना द्वारा निर्धारित ये दरें "प्रभावी दरें" के रूप में जानी जाती हैं।

सीमा शुल्क व्यवस्था के अंतर्गत, कर प्रोत्साहन के राजस्व की गणना उसी तरीके से की जाती है जैसाकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की व्यवस्था में कर प्रोत्साहनों में राजस्व प्रभाव को अपनाया जाता है।

विभिन्न छूट अधिसूचनाओं के अंतर्गत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का अनुमान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा विनिमय (ईडीआई) स्थलों पर भारतीय सीमाशुल्क इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा विनिमय प्रणाली (आईसीईएस) में आयातकों द्वारा दर्ज प्रविष्टि बिलों से उत्पन्न आंकड़े पर आधारित है। चूंकि ईडीआई प्रणाली, गैर-ईडीआई स्थलों के माध्यम से आयातों अथवा जहां ईडीआई प्रणाली पूर्णतः प्रचालित नहीं है अथवा जहां प्रविष्टि बिलों को अभी तक हाथ द्वारा दर्ज किया जा रहा है, के संबंध में डाटा हासिल नहीं करता है, तो कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव की कुल स्थिति तक पहुंचने के क्रम में उचित व्यवस्थाएं की गई हैं। राजस्व प्रभाव डाटा आधारभूत सीमाशुल्क ड्यूटी, सीवी ड्यूटी से छूटों और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 के अंतर्गत जारी अधिसूचनाएं छूट, जो सीवी ड्यूटी के उदग्रहण के लिए संगत हैं, पर भी ध्यान देता है। यह 4 प्रतिशत की विशेष सीवीडी से छूटों पर भी ध्यान देता है।

बजट 2014-15 के प्रस्तुत किए जाने के समय तक वर्ष 2013-14 की सीमा शुल्क व्यवस्था के अंतर्गत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के वास्तविक आंकड़े उपलब्ध थे। यह अपरिवर्तनीय रहा है।

वर्ष 2014-15 के अनुमानित राजस्व प्रभाव का आकलन करने के लिए उस कार्य प्रणाली का प्रयोग किया गया है जो पिछले वर्षों की जाती रही है। ईडीआई ने इस वर्ष वास्तविक रूप से रिपोर्ट किए गए सकल सीमा शुल्क राजस्व संग्रहण का 90.35% कैचर किया है। ईडीआई आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 (अप्रैल से दिसम्बर, 2014) के संबंध में कर प्रोत्साहन का अनुमानित राजस्व प्रभाव 231472 करोड़ रुपये है। ईडीआई द्वारा कैचर नहीं किए गए आंकड़ों को सुस्पष्ट किए जाने के पश्चात सम्पूर्ण वर्ष 2014-15 के संबंध में कर प्रोत्साहन का अनुमानित राजस्व प्रभाव 341592 करोड़ बैठता है। इस राजस्व प्रभाव में तथापि निर्यात संबद्ध आगत कार्य शामिल हैं। इन योजनाओं में से कई योजनाएं आगत कर उदासीनता का प्रावधान करती हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हम करों का निर्यात नहीं करें। अतः इन योजनाओं के कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव को कर प्रोत्साहनों के अनुमानित राजस्व प्रभाव से अलग रखा गया है। निर्यात की विभिन्न संवर्धन योजनाओं से कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव की कटौती करने के पश्चात अपितु निम्न सारणी 11 के क्रम सं. 14 में उल्लिखित प्रोत्साहनों से राजस्व प्रभाव को शामिल करते हुए वर्ष 2014-15 के संबंध में कर प्रोत्साहन का कुल राजस्व प्रभाव 301688 करोड़ बैठता है। (341592 करोड़ रुपये- 39904 करोड़ रुपये)

वर्ष 2014-15 के दौरान कर प्रोत्साहनों का अनुमानित राजस्व प्रभाव 2013-14 के प्रभाव से 15.7 प्रतिशत अधिक है। इसी अवधि के दौरान सीमा शुल्क संग्रहण में 9.7 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभावों में आंशिक बढ़ोत्तरी विभिन्न मुक्त व्यापार करारों के अंतर्गत बढ़े हुए आयात और छूटों के कारण तथा स्टीमुलस पैकेज के एक हिस्से के रूप में पूंजीगत वस्तुओं उपभोक्ता वस्तुओं और मोटर वाहनों पर सीवीडी में हुई कटौती के कारण हुआ।

प्रमुख जिंस समूहों और सकल राजस्व प्रभाव में उनके हिस्से के आधार पर 2013-14 और 2014-15 की अवधि में सीमा शुल्क व्यवस्था के अंतर्गत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को निम्नलिखित रूप में दिखाया गया है:

सारणी-9 : कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव में अपना योगदान देने वाले प्रमुख जिंस समूहों का हिस्सा

क्षेत्र	2013-14		2014-15 (अनुमानित)	
	राजस्व प्रभाव (करोड़)	कुल राजस्व प्रभाव में हिस्से का प्रतिशत	राजस्व प्रभाव (करोड़)	कुल राजस्व प्रभाव में हिस्से का प्रतिशत
कूड ऑयल एवं खनिज तेल (27)	77851	26%	72180	24%
उपकरण (84 और 85)	30252	10%	31664	10%
हीरा और स्वर्ण (71)	48635	16%	75592	25%
खाद्य सब्जी, फल, अनाज, वनस्पति तेल (7, 8, 10, 15)	44122	14%	57511	19%
प्राथमिक धातुएं एवं उससे बनी वस्तुएं (72 से 83)	12889	4%	15219	5%
रासायनिक एवं प्लास्टिक वस्तुएं (28, 29, 39)	19730	6%	18812	6%
कपड़ा (50 से 63)	23177	8%	15851	5%
उत्सवक (31)	4961	2%	6051	2%
लवण एवं अयस्क (25 से 26)	3527	1%	5018	2%
औषध (30)	1053	0%	1028	0%
योग	266197	87%	298926	98%

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के प्रत्येक अध्याय का कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव नीचे दिया गया है:-

सारणी :10 सीमाशुल्क व्यवस्था के अंतर्गत कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव के अनुमान

(करोड़ रुपये में)

अध्याय	माल का संक्षिप्त विवरण	2013-14	2014-15 (अनुमानित)
1	जीवित पशु	4	4
2	मांस और खाद्य मांस ऑफन	8	14
3	मत्स्य एवं क्रस्टेसियन्स, अन्य जलीय अकेशुरूकीय प्राणी	56	74
4	डेयरी उत्पाद	41	70
5	पशु आदि के अन्य उत्पाद	52	46
6	जीवित पेड़ और अन्य पौधे	3	3
7	खाद्य सब्जियां, विशिष्ट मूल और कन्द	4593	6244
8	खाद्य फल और नारियल	1912	3512
9	काफी, चाय, मेट और मसाले	1583	2257
10	अनाज	107	110
11	मालिंग उद्योग के उत्पाद	58	61
12	तिलहन, अनाज, बीज फल	425	318
13	लाख, गोंद और रेजिन	267	288
14	सब्जी प्लेटिंग वस्तुएं	13	23
15	जन्तु या वनस्पति वसा	37510	47645
16	मांस या मछली से विनिर्मित पदार्थ	9	10
17	चीनी	2592	2703
18	कहवा	219	359
19	अनाज से विनिर्मित पदार्थ	34	65
20	वनस्पति से विनिर्मित पदार्थ	53	65
21	विविध खाद्य उत्पाद	565	514
22	पेय एवं स्प्रिट	207	361
23	खाद्य उद्योगों से निकलने वाले अवशिष्ट एवं कचरे	305	368
24	तम्बाकू	127	102
25	लवण, गंधक मिट्टी एवं पत्थर	1183	1519
26	अयस्क	2344	3499

अध्याय	माल का संक्षिप्त विवरण	2013-14	2014-15 (अनुमानित)
27	खनिज ईंधन एवं खनिज तेल	77851	72180
28	अकार्बनिक रसायन	4246	5097
29	जैव रसायन	11666	12687
30	औषधि उत्पाद	1053	1028
31	उरर्वक	4961	6051
32	टैनिंग एवं डायिंग निष्कर्ष, रंजक	560	647
33	आवश्यक तेल	454	488
34	साबुन एवं धुलाई के उत्पाद	205	249
35	एल्युमिनायडल पदार्थ	166	159
36	विस्फोटक एवं माचिस	25	14
37	फोटोग्राफी सामान	48	53
38	विविध रसायनिक पदार्थ	1911	1783
39	प्लास्टिक	3817	4782
40	रबर	2464	2088
41	हाइड एवं स्किन एवं लेदर	364	440
42	चमड़े की वस्तु	40	45
43	फर स्किन	4	5
44	लकड़ी	2408	2310
45	कार्क	1	1
46	भूस के उत्पाद	0	0
47	लकड़ी की लुगदी	973	1141
48	कागज	1482	1592
49	मुद्रित अखबारों एवं किताबों	503	1121
50	रेशम	327	306
51	ऊन	204	214
52	सूती	939	692
53	अन्य वनस्पति फाइबर	138	200
54	मानव निर्मित सूत	8915	6992
55	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर	784	1160

अध्याय	माल का संक्षिप्त विवरण	2013-14	2014-15 (अनुमानित)
56	वैडिंग एवं गैर बुने हुए	79	106
57	कालीन	52	48
58	विशेष बुने हुए कपड़े	10391	4541
59	लेपित कपड़ा वस्त्रों	646	664
60	बना हुआ कपड़ा	321	376
61	बने हुए रेडीमेट कपड़े	91	152
62	बुने हुए कपड़े	165	302
63	बने बनाये सामान	124	98
64	जूता	250	328
65	सिर की टोपी	3	2
66	छाता	11	12
67	पंख/कृत्रिम फूल	5	2
68	पत्थर और प्लास्टर की वस्तुएं	218	213
69	मिट्टी के उत्पाद	174	236
70	कांच और कांच के बर्तन	280	289
71	बहुमूल्य रत्न, आभूषण	48635	75592
72	लोहा और इस्पात	6303	7969
73	लोहा और इस्पात के वस्तु	2591	2697
74	कॉपर और उससे निर्मित वस्तुएं	1370	1466
75	निकेल और उससे निर्मित वस्तुएं	153	213
76	एल्यूमीनियम एवं उससे निर्मित वस्तुएं	1176	1423
78	शीशा एवं उससे निर्मित वस्तुएं	196	262
79	जिंक और उससे निर्मित वस्तुएं	94	194
80	टिन एवं उससे निर्मित वस्तुएं	93	99
81	अन्य बेस मेटल	161	140
82	उपकरण एवं उपस्कर	528	515
83	बेस मेटल से निर्मित विविध वस्तुएं	225	241
84	मशीनरी	16429	15468
85	इलेक्ट्रिकल मशीनरी	13823	16196

अध्याय	माल का संक्षिप्त विवरण	2013-14	2014-15 (अनुमानित)
86	रेलवे या ट्रामवेज लोकोमोटिव्स रोलिंग स्टॉक्स आदि	112	152
87	मोटर वाहन	2078	1914
88	एअर क्राफ्ट्स	2719	2553
89	शिप्स, बोट्स एवं फ्लार्टिंग स्ट्रक्चर्स	4017	2322
90	चश्मा/फोटोग्राफी उपकरण	3987	3994
91	क्लॉक एवं वॉच	16	40
92	संगीत वाद्ययंत्र	6	10
93	हथियार और गोला बारूद	1909	1043
94	फर्नीचर	412	446
95	खिलौने और खेल	345	329
96	विविध निर्मित वस्तुएं	1399	1638
97	कला की प्राचीन वस्तुएं	276	51
98	परियोजना आयात, सामान	3857	3496
	कुल	306500	341592

इन आंकड़ों में कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव के आंकड़े भी शामिल हैं जो कि प्रतिअदायगी से पृथक अन्य विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं को चलाये जाने के कारण पैदा हुए हैं। व्यक्तिगत निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के परित्यक्त राजस्व का ब्यौरा नीचे अलग-अलग दिया गया है। इन योजनाओं में से ड्यूटी फ्री इन्टाइटलमेंट क्रेडिट सर्टीफिकेट, टारगेट प्लस, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना, सर्वड फ्रॉम इण्डिया और फोकस मार्केट/प्रोडक्ट प्रोत्साहन योजनाएं हैं। छूट अधिसूचनाओं के कारण होने वाले परित्यक्त शुल्क की गणना करते समय इन योजनाओं से होने वाले परित्यक्त राजस्व पर भी विचार किया जाता है। बाकी योजनाएं या तो छूट योजनाएं हैं या आदान-कर उदासीनीकरण योजनाएं हैं जिनका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने निर्यातकों को समस्तरीय कार्य क्षेत्र उपलब्ध कराना है। चूंकि ये निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं नहीं हैं अतः इन योजनाओं से होने वाले राजस्व प्रभाव को राजस्व प्रभाव की गणना से बाहर कर दिया गया है, जैसा कि नीचे सारणी 11 में दर्शाया गया है।

सारणी 11 : निर्यात प्रोत्साहन रियायतों के कारण होने वाला राजस्व प्रभाव

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजना का नाम	2013-14	2014-15 (अनुमानित)
1	एडवांस लाइसेंस योजना	20956	21842
2	ईओयू/ईएचटी/एसटीपी	5840	3789
3	ईपीसीजी	8990	6784
4	डीईपीबी स्कीम	434	126
5	एसईजेड	6198	5532
6	डीएफआरसी	2	1

क्र.सं.	योजना का नाम	2013-14	2014-15 (अनुमानित)
7	ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट अथराइजेशन स्कीम	3365	1830
8	ड्यूटी फ्री इन्टाइटलमेंट क्रेडिट सर्टीफिकेट	235	231
9	टारगेट प्लस स्कीम	884	404
10	विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना	2442	3311
11	सर्वड फ्रॉम इण्डिया स्कीम	639	584
12	फोकस मार्केट/प्रोडक्ट स्कीम	10182	12798
13	योग	60168	57232
14	क्र.सं. 8 से 12 में प्रोत्साहन योजनाओं के राजस्व प्रभाव को कम रखा गया	14382	17328
15	आदान कर उदासीनीकरण या छूट योजनाओं के कारण होने वाले राजस्व प्रभाव को सीमाशुल्क के सकल राजस्व प्रभाव में से घटाया जाना है।	45786	39904

राजस्व प्रभाव के उपर्युक्त अनुमान में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 (2), जिसे अपवादिक स्वरूप के मामलों के हालात पर विचार करते हुए विशिष्ट मामलों में बढ़ाया जाता है, के अंतर्गत जारी तदर्थ छूट आदेशों के कारण हुए राजस्व प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है जो कि अपवादित प्रकृति की परिस्थितियों से संबंधित हैं।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के राजस्व प्रभाव को संक्षेप में नीचे दिया गया है :

सारणी - 12 : वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 में कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव (प्रत्यक्ष कर)

(करोड़ रुपये में)

	2013-14 में कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव	2014-15 में कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव
कॉर्पोरेट आयकर	57793.0	62398.6
व्यक्तिगत आयकर	35254.1	40434.6
योग	93047.1	102833.2

सारणी - 13 : वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव (अप्रत्यक्ष कर)

(करोड़ रुपये में)

	2013-14 में कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव	2014-15 में कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव (अंतिम)
उत्पाद शुल्क	1,96,223	1,84,767.4
सीमाशुल्क ड्यूटी	2,60,714	3,01,688
कुल	4,56,937	4,86,452

2013-14 के संबंध में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर (केन्द्र सरकार द्वारा उदग्रहीत) के संबंध में उपलब्ध प्रोत्साहनों का राजस्व का सकल राजस्व प्रभाव 549984.1 करोड़ रुपये है तथा वर्ष 2014-15 के संबंध में 589285.2 करोड़ रुपये का लक्ष्य है। अंततः वित्त वर्ष 2013-14 के कर प्रोत्साहनों का कुल राजस्व प्रभाव, वित्त वर्ष 2013-14 के कर प्रोत्साहनों के कुल राजस्व प्रभाव की तुलना में कम है।

परिशिष्ट

उद्योगों में नमूना कंपनियों के अधिशुल्क और शिक्षा उपकर सहित प्रभावी कर दर
(वित्त वर्ष 2013-14) (नमूना आकार – 564787)

क्रम सं.	क्षेत्र	उद्योग	कम्पनियों की संख्या	कर से पहले लाभ (करोड़ रुपये में)	देय कुल कर (करोड़ रुपये में)	प्रभावी कर दर (प्रतिशत में)
1	विनिर्माण उद्योग	कृषि आधारित उद्योग	16445	13048.99	2975.33	22.8
2	विनिर्माण उद्योग	मोटरगाड़ी और मोटरगाड़ी के पुर्जे	4522	39913.04	9694.59	24.29
3	विनिर्माण उद्योग	सीमेंट	707	10838.31	632.52	5.84
4	विनिर्माण उद्योग	हीरा-तराश	447	2310.53	616.43	26.68
5	विनिर्माण उद्योग	औषध और औषधीय	5331	44097.99	8586.05	19.47
6	विनिर्माण उद्योग	कम्प्यूटर हार्डवेयर सहित इलेक्ट्रॉनिक	2453	10167.87	3180.04	31.28
7	विनिर्माण उद्योग	अभियांत्रिकी सामान	9765	35751.61	10602.31	29.66
8	विनिर्माण उद्योग	उर्वरक, रसायन, पेंट्स	3823	17307.37	4369.22	25.24
9	विनिर्माण उद्योग	आटा और चावल मीलें	1471	1101.42	261.19	23.71
10	विनिर्माण उद्योग	खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां	2991	9461.04	2650.01	28.01
11	विनिर्माण उद्योग	संगमरमर और ग्रेनाइट	2037	1125.10	319.73	28.42
12	विनिर्माण उद्योग	कागज	1366	2124.04	293.06	13.80
13	विनिर्माण उद्योग	पेट्रोलियम एवं पेट्रोरसायन	667	98616.19	18597.66	18.86
14	विनिर्माण उद्योग	विद्युत और ऊर्जा	4923	53963.81	8000.82	14.83
15	विनिर्माण उद्योग	मुद्रण एवं प्रकाशन	2590	5026.48	1509.14	30.02
16	विनिर्माण उद्योग	रबड़	912	956.16	417.79	43.69
17	विनिर्माण उद्योग	इस्पात	4473	21705.15	3832.36	17.66
18	विनिर्माण उद्योग	शर्करा	307	547.46	87.35	15.95
19	विनिर्माण उद्योग	चाय, कॉफी	1023	2360.39	425.71	18.04
20	विनिर्माण उद्योग	वस्त्र, हथकरघा, बिजली करघा	9715	12545.84	2672.25	21.30
21	विनिर्माण उद्योग	तम्बाकू	291	14596.64	4331.43	29.67
22	विनिर्माण उद्योग	टायर	159	4256.77	873.47	20.52
23	विनिर्माण उद्योग	वनस्पति और खाद्य तेल	617	1486.41	299.05	20.12
24	विनिर्माण उद्योग	अन्य	53008	126068.10	31039.89	24.62
25	व्यापार	श्रृंखला भंडार	660	773.85	249.41	32.23
26	व्यापार	खुदरा व्यापारी	14956	5198.18	1333.35	25.65
27	व्यापार	थोक व्यापारी	23368	8680.35	2757.83	31.77
28	व्यापार	अन्य	86785	22911.03	5774.60	25.20
29	आढ़तिये	सामान्य आढ़तिये	4060	1097.79	326.49	29.74
30	भवन निर्माता	भवन निर्माता	20187	7550.06	1769.69	23.44
31	भवन निर्माता	सम्पदा ऐजेंट	3659	746.16	180.95	24.25
32	भवन निर्माता	सम्पति विकासक	29557	14714.48	3106.58	21.11
33	भवन निर्माता	अन्य	21340	4662.17	811.47	17.41
34	ठेकेदार/संविदाकार	सिविल ठेकेदार	10097	11871.85	2952.19	24.87
35	ठेकेदार/संविदाकार	उत्पादशुल्क ठेकेदार	24	7.83	6.44	82.23
36	ठेकेदार/संविदाकार	वन ठेकेदार	11	0.02	0.01	23.83
37	ठेकेदार/संविदाकार	खनन ठेकेदार	809	15711.98	1136.49	7.23

क्रम सं.	क्षेत्र	उद्योग	कम्पनियों की संख्या	कर से पहले लाभ (करोड़ रुपये में)	देय कुल कर (करोड़ रुपये में)	प्रभावी कर दर (प्रतिशत में)
38	ठेकेदार/संविदाकार	अन्य	10705	6268.39	1887.76	30.12
39	व्यावसायिक	सनदी लेखाकार, लेखा परीक्षा, आदि	97	13.34	4.23	31.73
40	व्यावसायिक	फैशन रूपांकक	112	20.45	4.98	24.34
41	व्यावसायिक	विधि संब्यावसायिक	322	32.39	10.19	31.47
42	व्यावसायिक	चिकित्सा संब्यावसायिक	1593	279.02	76.03	27.25
43	व्यावसायिक	उपचर्या-गृह	995	220.12	62.28	28.29
44	व्यावसायिक	विशेष अस्पताल	1165	1454.24	379.72	26.11
45	व्यावसायिक	अन्य	5995	1640.54	408.79	24.92
46	सेवा क्षेत्र	विज्ञापन अभिकरण	2909	1730.30	563.08	32.54
47	सेवा क्षेत्र	सौंदर्य बैठकखाना	280	29.75	10.51	35.32
48	सेवा क्षेत्र	परामर्शदात्री सेवा	17877	9645.64	2346.00	24.32
49	सेवा क्षेत्र	कूरियर एजेंसी	488	409.62	150.39	36.71
50	सेवा क्षेत्र	कम्प्यूटर प्रशिक्षण/शैक्षिक तथा कोचिंग संस्थान	3298	1068.00	313.74	29.38
51	सेवा क्षेत्र	फोरक्स डीलर्स	797	264.15	84.75	32.08
52	सेवा क्षेत्र	सत्कार सेवाएं	4549	1019.16	281.18	27.59
53	सेवा क्षेत्र	होटल	6753	2085.51	494.15	23.69
54	सेवा क्षेत्र	आईटी समर्थित सेवाएं, बीपीओ सेवा प्रदाता	12829	42090.55	10251.09	24.35
55	सेवा क्षेत्र	सुरक्षा अभिकरण	1839	686.35	238.87	34.80
56	सेवा क्षेत्र	सॉफ्टवेयर विकास अभिकरण	11395	79365.48	17838.73	22.48
57	सेवा क्षेत्र	परिवहन संचालनकर्ता	4373	4954.02	1077.63	21.75
58	सेवा क्षेत्र	यात्रा अभिकर्ता, दौरा संचालक	4269	1051.48	342.73	32.59
59	सेवा क्षेत्र	अन्य	63946	87894.17	18894.67	21.50
60	वित्तीय सेवा क्षेत्र	बैंक संबद्ध कंपनियां	243	115915.85	28914.21	24.94
61	वित्तीय सेवा क्षेत्र	चिटफंड	2544	483.17	142.12	29.41
62	वित्तीय सेवा क्षेत्र	वित्तीय संस्थान	498	12655.95	3949.41	31.21
63	वित्तीय सेवा क्षेत्र	वित्तीय सेवा प्रदाता	2706	7137.17	1923.58	26.95
64	वित्तीय सेवा क्षेत्र	पट्टाधारी कंपनियां	507	1770.00	32.63	1.84
65	वित्तीय सेवा क्षेत्र	साहूकार	352	64.03	14.48	22.61
66	वित्तीय सेवा क्षेत्र	गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां	8507	53827.09	14033.93	26.07
67	वित्तीय सेवा क्षेत्र	शेयर दलाल, उप-दलाल आदि	3847	4122.13	1195.10	28.99
68	वित्तीय सेवा क्षेत्र	अन्य	17975	32386.40	11195.23	34.57
69	मनोरंजन उद्योग	केबल टी वी उत्पादन	411	164.16	45.69	27.83
70	मनोरंजन उद्योग	फिल्म वितरण	350	1271.38	117.38	9.23
71	मनोरंजन उद्योग	फिल्म प्रयोगशाला	38	3.22	1.75	54.41
72	मनोरंजन उद्योग	चलचित्र निर्माता	635	229.78	45.16	19.66
73	मनोरंजन उद्योग	दूरदर्शन चैनल	369	2485.31	768.73	30.93
74	मनोरंजन उद्योग	अन्य	4490	2954.64	795.19	26.91
75	मनोरंजन उद्योग	अन्य	19173	9500.28	2288.59	24.09
जोड़			564787	1110495.68	257857.57	23.22

Statement of Revenue Impact of Tax Incentives under the Central Tax System: Financial Years 2013-14 and 2014-15.

The primary objective of any tax law and its administration is to raise revenue for the purpose of funding Government expenditure. The amount of revenue raised is primarily dependent upon the collective tax base and the effective tax rates. The determinants of these two factors are a range of measures which include special tax rates, exemptions, deductions, rebates, deferrals and credits. These measures are collectively called as 'tax incentives' or 'tax preferences'. They have an impact on Government revenues and also reflect a significant policy of the Government.

The tax policy provides specific tax incentives which give rise to tax preferences. Such preferences have a definite revenue impact and can also be viewed as an indirect subsidy to preferred tax payers also referred to as 'tax expenditures'. It is often argued that tax policy should not only be efficient but also transparent. This means that programme planning which requires specific policy objectives to be addressed using incentives having revenue impact, should be explicit and transparent budgeting calls for inclusion of such indirect outlays (or revenue impacts) under the respective programme headings. Tax incentives resulting in any form of revenue impact per se are spending programs embedded in the tax statute.

The present statement is an analysis of the revenue impact of the tax incentives available under the Central Tax system. Such revenue impact of tax incentives was laid before Parliament for the first time during Budget 2006-07 as Annex-12 of the Receipts Budget 2006-07 by way of a statement of Revenue Foregone. It was well received by all quarters and gave rise to a constructive debate on the entire gamut of issues concerning fiscal policy. It also lent credence to the Government's intention of bringing about transparency in the matter of tax policy and tax expenditures. The second edition of this statement was placed before Parliament during Budget 2007-08 by way of Annexure-12 of the Receipts Budget and also by way of a separate budget document titled "Statement of Revenue Foregone". Thereafter, it was placed before Parliament during Budget 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 and 2014-15. In the present year it has been termed more appropriately as the "Statement of Revenue Impact of Tax Incentives under the Central Tax System", since what is actually being analysed is the revenue impact.

As in the earlier nine years, this Statement seeks to list the revenue impact of tax incentives or tax subsidies that are a part of the tax system of the Central Government. The revenue impact of such tax incentives has been estimated in respect of most of the "tax preferences". The estimates are for financial year 2013-14, the most recent year for which data is available. However, an attempt has also been made to estimate the revenue impact which would be there during financial year 2014-15 on the basis of the tax expenditure figures of the financial year 2013-14.

The estimates of the tax expenditures have been made on the basis of the following assumptions:-

- (a) The estimates and projections are intended to indicate the potential revenue gain that would be realised by removing exemptions, deductions, weighted deductions and similar measures. The estimates are based on a short-term impact analysis. They are developed assuming that the underlying tax base would not be affected by removal of such measures. As the behaviour of economic agents, overall economic activity or other Government policies could change along with the elimination of the specific tax preference, the revenue implications could be different to that extent.
- (b) The impact of each tax incentive is determined separately, assuming that all other tax provisions remain unchanged. Many of the tax concessions do, however, interact with each other. Therefore, the interactive impact of tax incentives could turn out to be different from the tax expenditure calculated by adding up the estimates and projections for each provision.

Though the revenue impact has been quantified in terms of tax expenditure, it does not imply that this quantum of revenue has been waived by the Government. Rather, these could be seen as targeted expenditure for the promotion of certain sectors. In some cases, the economic and social activities which are incentivized by such indirect subsidy by way of tax expenditure may not have actually been undertaken or may have been much lower in scale in the absence of such incentives. The assumptions and methodology adopted to estimate the tax expenditure on account of different tax incentives are indicated at the relevant places in this Statement.

Direct Taxes

The Income-tax Act, inter alia, provides for tax incentives to promote exports; balanced regional development; creation of infrastructure facilities; employment; rural development; scientific research and development; and the cooperative sector and encourage savings by individuals and donations for charity. Accelerated depreciation is also provided as an incentive for capital investment. Most of these tax benefits can be availed of by both corporate and non-corporate taxpayers. This statement attempts to estimate the revenue impact of the tax incentives in respect of the aforesaid sectors separately for : (A) Companies ; (B) Firms , Association of Persons, Body of Individuals etc and; (C) Individuals and HUFs. Details of entities engaged in activities having a charitable or a social purpose has also been given in Part (D). The heads under which the revenue impact has been estimated are broadly similar for the companies and firms etc. However, in the case of individuals, certain other heads have also been included as these are specific to them only. The statement for the corporate sector also analyses the spread of effective tax rates for companies in different profit slabs. A sectoral analysis of effective tax rates has also been attempted.

A. Corporate Sector

Large business is mainly organised as companies. The Income-tax Department has received 564787 corporate returns electronically up to 30.11.2014 for the financial year 2013-14 [i.e. assessment year 2014-15]. Every company is required to file its return of income electronically. These returns constitute about 90% of the total corporate returns expected in financial year 2014-15. These companies reported corporate tax payable as ₹ 2,57,858 crore [inclusive of surcharge and education cess] for their income of financial year 2013-14. They also reported ₹ 25086 crore as Dividend Distribution Tax payable during the financial year 2013-14.

For the purposes of estimating the tax expenditure, data pertaining to these 564787 companies¹ was culled from the database for analysis and is detailed in Tables 1 to 5 and Appendix to this statement. **Table 1** profiles these companies across profit ranges. The following facts emerge from an analysis of the data:-

- 310716 companies (55.01 %) reported ₹ 11,10,496 crore as profits before taxes and a total income (taxable income)² of ₹ 7,42,095 crore for the financial year 2013-14.
- 228447 companies (40.45 %) reported ₹ 431401 crore as losses.
- 25624 companies (4.54 %) reported Nil profit.

The **effective tax rate³ of the entire sample was 23.22 per cent⁴** [as against the rate of **22.44** per cent reported in 2012-13] while the statutory tax rate was 32.445 per cent in the case of companies having income upto ₹ 10 crore and of 33.99 per cent in the case of companies having income exceeding ₹ 10 crore resulting in an average statutory rate of 33.217 per cent⁵. Companies with profits before taxes [PBT hereafter] of ₹ 500 crore and above, accounted for a total of 60.29 percent of the total PBT and a total of 53.71 per cent of the total corporate income tax payable. However, their effective tax rate was 20.68 per cent, while the effective tax rate was 26.89 per cent for companies with PBT up to rupees one crore. This rate of effective tax of 26.89 per cent for smaller companies, which is close to the statutory rate in companies, is the result of the gradual phasing out of profit linked deductions and the levy of Minimum Alternate Tax on companies. The effective rate for the entire sample of 23.22 per cent, is however, marginally higher than the effective rate of 22.44 per cent in the F.Y 2012-13. This is due to the increase in surcharge for the bigger companies and also due to gradual phasing out of various profit linked deductions. In addition to this, it is seen that the profile of companies in the data of 564787 companies indicates that the number of companies showing a loss has reduced from 250865 (40.54 per cent of the sample) in 2012-13 to 228447 (40.45 per cent of the sample) in 2013-14.

The ratio of total income to PBT is much higher (88.07 per cent) for companies with PBT up to one crore rupees than that for the total sample (66.83 per cent). This is also reflected by the average effective tax rate of 26.89 per cent, being much higher for smaller companies. This indicates lesser deviance from PBT in the case of relatively smaller companies as compared to larger companies and that higher tax concessions are being availed by the larger companies.

**Table 1: Profile of sample companies across range of profits before taxes
(Financial Year 2013-14) (Sample size – 564787)**

Sl. No.	Profit Before Taxes	Number of Companies	Share in Profits Before Taxes (in %)	Share in Total Income (in %)	Share in Total Corporate Income Tax Payable (in %)	Ratio of Total Income to Profits Before Taxes (in %)	Effective Tax Rate (in %) [Profit to tax ratio]
1.	Less than Zero	228447	0.00	0.48	0.50	-	-
2.	Zero	25624	0.00	2.61	3.98	-	-
3.	₹ 0-1 Crore	278515	2.94	3.76	3.41	88.07	26.89
4.	₹ 1-10 Crore	25613	6.94	8.02	7.72	79.72	25.84
5.	₹ 10-50 Crore	4664	8.99	9.73	9.67	74.63	24.99
6.	₹ 50-100 Crore	853	5.39	5.62	5.63	72.13	24.29
7.	₹ 100-500 Crore	808	15.45	15.60	15.38	69.60	23.11
8.	Greater than ₹ 500 Crore	263	60.29	54.18	53.71	61.96	20.68
9.	All Companies	564787	100.00	100.00	100.00	66.83	23.22

1 The sample size for financial year 2012-13 was 618806.

2 The term "total income", in income-tax returns, represents taxable income as would be implied in common parlance.

3 Effective tax rate in case of companies is the ratio of total taxes paid [including surcharge and education cess but excluding Dividend Distribution Tax] to the total profits before taxes [PBT] and expressed as a percentage.

4 Effective tax rate including dividend distribution tax was 25.47 percent.

5 Average statutory tax rate has been worked out taking an average of the tax rate of 32.445% in the case of companies having total income upto ₹ 10 crore and 33.99% in the case of companies having total income exceeding ₹10 crore.

Table 2 profiles the sample companies across effective tax rates. It is noted that 314661 companies with average effective tax rates up to 20 per cent accounted for 39.39 per cent of total profits before taxes, 15.42 per cent of total taxable income and 14.18 per cent of total taxes paid. In other words, a large number of companies (314661) i.e 55.71 per cent of the total companies contributed a disproportionately lower amount in taxes in relation to their profits. Interestingly, 30859 companies accounting for 4.56 percent of the total profits and 10.15 percent of the total taxes, had an effective tax rate approximately equal to the average statutory rate of 33.217 %. This shows that the tax liability across companies is unevenly distributed. This is primarily due to the various tax preferences in the Statute.

Table 2: Profile of sample companies across range of Effective tax rates*
(financial year 2013-14) [sample size – 564787]

Sl. No.	Effective tax rate (in %)	Number of Companies	Share in Total profits (in %)	Share in Total Income (in %)	Share in Total Tax Payable (in %)
1	Less Than Zero and Zero	2,83,640	10.32	1.08	0.50
2	0-20	31,021	29.07	14.34	13.68
3	20-25	17,188	12.70	12.74	12.29
4	25-30	30,350	14.27	17.19	17.03
5	30-33	1,46,105	29.08	42.42	42.37
6	>33	30,859	4.56	9.62	10.15
7	Indeterminate (PBT = 0)	25,624	0.00	2.61	3.98
8	TOTAL	564787.00	100.00	100.00	100.00

*effective tax rate is inclusive of surcharge and education cess.

Table 3 compares the effective tax rate of public companies [PSUs only] with that of private companies. While the rate is lower than the statutory rate for both categories, the private sector companies pay a slightly larger proportion of their profits as tax than the public sector companies.

Table 3: Effective tax rate* of sample companies in the public and private sectors
(financial year 2013-14) [sample size – 564787]

Sl. No.	Sector	Number of Companies	Share in total profits (in %)	Share in total tax payable (in %)	Effective tax rate (in %)
1	Public	221 [#]	23.80	19.82	19.33
2	Private	564566	76.20	80.18	24.44
	Total	564787	100.00	100.00	23.22

*effective tax rate is inclusive of surcharge and education cess.

[#]Based on the information given by the assessee companies (as PSU) in their respective returns.

Table 4 shows a comparison between the effective tax rate of the manufacturing sector and the service sector in respect of the sample companies. The service sector has a higher effective tax rate of 24.37 per cent. as compared to manufacturing sector 21.96 per cent. Both the sectors have an effective tax rate that is well below the average statutory rate of 33.217 per cent.

Table 4: Effective tax rate* of sample companies in the manufacturing and service sectors
(financial year 2013-14) [sample size – 564787]

Sl. No.	Sector	Number of Companies	Share in total profits (in %)	Share in total tax payable (in %)	Effective tax rate (in %)
1	Manufacturing	130043	47.67	45.09	21.96
2	Service	434744	52.33	54.91	24.37
3	Total	564787	100.00	100.00	23.22

*effective tax rate is inclusive of surcharge and education cess.

Table 5 gives details of the major tax expenditures on corporate tax payers in terms of the tax expenditure during the financial year 2013-14 and 2014-15. The analysis is based on the corporate returns filed up to 30th Nov 2014, which constitute 90% of the expected returns in the financial year 2014-15. However, the due date for filing of returns by all companies is on or before 30th November and most of the tax concessions analysed require the return to be filed before the due date for the purpose of claim of such incentive. Therefore, the tax expenditure from the data sample has not been scaled up in any manner. The revenue impact of each tax concession availed by these companies has been calculated by applying the average statutory corporate tax rate of 33.217 per cent. on the amount of each deduction. The revenue impact of accelerated depreciation, deduction/weighted deduction for expenditure on scientific research, and deduction for expenditure on eligible projects/schemes for social and economic uplift of the public, has been calculated by first determining the difference between the depreciation/deduction debited to the profit and loss account by companies and the depreciation/deduction allowable under the Income-tax Act. Thereafter, the average corporate tax rate of 33.217 per cent has been applied to this difference to arrive at the tax expenditure figure.

Another aspect of tax expenditure is tax deferral. Tax deferral occurs when the taxpayer, on account of being allowed higher deductions under the tax statute is able to defer his tax liability by claiming an allowance (e.g. depreciation allowance) as a deduction over shorter time period whereas he may be spreading the same depreciation claim over a number of years in his own accounts. As depreciation does not entail cash outgo, this is a tax deferral. On the other hand, the Minimum Alternate Tax (MAT) on companies under the tax statute fastens a liability (for 2013-14, at the rate of 20.96 per cent inclusive of cess and surcharge on book profits), on the profit reported by the company to its shareholders (subject to some adjustments), if this liability is in excess of the tax liability computed at normal rates. The excess liability on account of MAT is allowed as a credit (upto 10 years) in a subsequent year in which the normal tax liability is in excess of MAT. The additional tax paid on account of MAT is, therefore, an advance payment of future tax liability. It restricts the period of deferral of taxes on account of claims of depreciation and moderates the revenue impact of other deductions such as profit linked deductions by spreading the same claim over a longer period of time.

Based on the tax expenditure figures for the financial year 2013-14, the tax expenditure for the financial year 2014-15 has been projected. The estimation for 2014-15 has been made by multiplying the tax expenditure on each tax incentive in 2013-14 by the corporate tax growth in 2014-15 as per revised estimates. Table 5 depicts the major tax expenditures on corporate taxpayers in terms of tax expenditure during the financial year 2013-14 and projection for the financial year 2014-15.

Table 5: Revenue Impact of major incentives on corporate taxpayers during the the financial years 2013-14 and 2014-15; [sample size 564787]

Sl. No.	Nature of incentive	Revenue Impact (in ₹ Crore) [2013-14]	Projected Revenue Impact (in ₹ Crore) [2014-15]
1.	Deduction of export profits of units located in SEZs (section 10A and 10AA)	17036.0	18393.7
2.	Accelerated Depreciation (section 32)	34278.3	37010.0
3.	Deduction/weighted deduction for expenditure on scientific research (section 35 (1), (2AA) &(2AB))	7527.1	8127.0
4.	Deduction for expenditure on eligible projects or schemes for the social and economic uplift of the public (section 35AC)	143.5	155.0
5.	Deduction in respect of specified business (section 35AD)	1054.2	1138.2
6.	Deduction on account of donations to charitable trusts and institutions (section 80G)	506.7	547.1
7.	Deduction on account of donations for scientific research or rural development (section 80GGA)	1.5	1.7
8.	Deduction on account of contributions to political parties (section 80GGB)	47.5	51.3
9.	Deduction of profits of undertakings engaged in development of infrastructure facilities (section 80-IA)	3171.2	3423.9
10.	Deduction of profits of undertakings engaged in development of SEZs and Industrial Parks (section 80-IA)	454.6	490.8
11.	Deduction of profits of undertakings engaged in providing telecommunication services (section 80-IA)	1431.1	1545.1
12.	Deduction of profits of undertakings engaged in generation, transmission and distribution of power (section 80-IA)	9824.0	10606.9

Sl. No.	Nature of incentive	Revenue Impact (in ₹ Crore) [2013-14]	Projected Revenue Impact (in ₹ Crore) [2014-15]
13.	Deduction of profits of undertaking engaged in revival of power plant (section 80-IA)	112.9	121.8
14.	Deduction of profits of undertakings engaged in development of SEZs in pursuance to SEZ Act, 2005 (section 80-IAB)	1381.9	1492.0
15.	Deduction of profits of industrial undertakings located in Jammu & Kashmir (section 80-IB)	234.2	252.9
16.	Deduction of profits of industrial undertakings located in industrially backward States other than Jammu & Kashmir (section 80-IB)	23.4	25.3
17.	Deduction of profits of industrial undertakings located in backward districts (section 80-IB)	2.6	2.8
18.	Deduction of profits of industrial undertakings derived from development of scientific research (section 80-IB)	63.7	68.8
19.	Deduction of profits of industrial undertakings derived from production of mineral oil and natural gas (section 80-IB)	6244.8	6742.5
20.	Deduction of profits of industrial undertakings derived from housing projects (section 80-IB)	180.1	194.4
21.	Deduction of profits of industrial undertakings derived from operating a cold chain facility (section 80-IB)	1.6	1.8
22.	Deduction of profits of industrial undertakings derived from integrated business of handling, storage and transportation of food grains (section 80-IB)	86.5	93.3
23.	Deduction of profits of industrial undertakings derived from processing, preservation and packaging of fruits and vegetables (section 80-IB)	205.2	221.5
24.	Deduction of profits of industrial undertakings derived from hospital in rural area (section 80-IB)	1.8	2.0
25.	Deduction of profits of undertakings set-up in North Eastern States (section 80-IC)	676.8	730.4
26.	Deduction of profits of undertakings set-up in Sikkim (section 80-IC)	873.7	943.3
27.	Deduction of profits of undertakings set-up in Uttarakhand (section 80-IC)	3689.8	3983.8
28.	Deduction of profits of undertakings set-up in Himachal Pradesh (section 80-IC)	1688.2	1822.8
29.	Deduction of profits from business of collecting and processing of bio-degradable waste (section 80JJA)	30.2	32.6
30.	Deduction in respect of employment of new workmen (section 80JJAA)	159.9	172.7
31.	Deduction in respect of certain incomes of Offshore Banking Units [OBUs] and International Financial Services Centre [IFSC] (section 80LA)	9.4	10.2
32.	Deduction in respect of hotels ,convention centres in specified areas (section 80-ID)	1.8	2.0
33.	Total	91144.2	98407.6
34.	Less Additional Tax Liability on account of MAT = 40251.8		
	Reduced By MAT credit claimed = 6900.6		
	Net Additional Tax due to MAT = 33351.2	33351.2	36009.0
	Total	57793.0	62398.6

While the projected tax expenditure figure for 2013-14 (exclusive of additional tax due to MAT payment) was estimated in the last year's statement to be ₹1,02,606.4 crore, it has now been actually calculated at ₹ 91144.2 crore. Taking into account the additional tax collected as a result of MAT, the actual revenue impact of tax incentives is significantly lower at ₹ 57793.0 crore against the projected tax expenditure of ₹ 76,116.3 crore. One reason for this is that for this year the additional tax liability collected by way of MAT is at ₹ 40,251.8 crore substantially more than that of F.Y. 2012-13 of ₹ 29,474 crore.

Accelerated depreciation accounts for the head under which the highest amount of tax incentive (₹ 34278.3 crore) has been given. Across various sectors, deductions availed by undertakings engaged in production of mineral oil , undertakings engaged in generation, transmission and distribution of power, undertakings engaged in development of infrastructure facilities and units located in SEZs accounted for a substantive portion of the total tax incentive.

Revenue impact of tax incentives for export profits of units located in SEZs for financial year 2013-14 was projected at ₹ 14,992 crore in the previous year's statement. However, based on the data now available, the actual revenue impact of tax incentives during financial year 2013-14 on these units is now calculated at ₹ 17036.0 crore. For financial year 2014-15, revenue impact of tax incentives on account of these units has been estimated at ₹ 18393.7 crore. Keeping in view the increase in actual tax expenditure in financial year 2013-14 over the estimated revenue impact for 2013-14, the actual revenue impact in financial year 2014-15 in respect of units located in SEZs may be even higher than the estimate.

The industry-wise distribution of effective tax rate of companies is given in the table in the Appendix to this statement. At the lower range, the effective tax rate for the cement and the paper sector is at 5.84 per cent and 13.80 per cent respectively. The effective tax rate of mining contractors is also quite low at 7.23 per cent. Similarly the effective tax rate of leasing companies is also very low at 1.84 per cent.

B. Non-Corporate [Firms/AOPs/BOIs] Sector

Apart from the corporate sector, large business is also organised as partnership firms and Association of Persons [AOPs] or Body of Individuals [BOIs]. The tax expenditure on these is not as large as that in case of companies. The Income-tax Department has received 678152 returns filed electronically upto 30th November, 2014 for income of the financial year 2013-14. For the purposes of estimating the tax expenditure, data pertaining to these 678152 firms/AOPs/BOIs was culled out from the database of the Income-tax Department. They account for a substantial part of the tax paid by the universe of firms/AOPs/BOIs in financial year 2013-14.

The data was analysed and the following facts emerged:-

- The sample firms/AOPs/BOIs reported ₹ 91,417 crore as profits before taxes and declared a total income (taxable income) of ₹ 80814 crores for the financial year 2013-14. Losses were reported by about 71,674 returns which is 10.56 per cent of the sample.
- These sample firms/AOPs/BOIs reported ₹ 25634 crore as income tax payable [inclusive of education cess] for the financial year 2013-14. The effective tax rate* in their case works out to 28.04 per cent.

The revenue impact of each tax concession claimed by the sample firms/AOPs/BOIs has been calculated by applying the income tax rate of 30.90 per cent (30% plus cess of 3%) on the amount of each deduction. The tax expenditure on account of accelerated depreciation; deduction/weighted deduction for expenditure on scientific research; and deduction for expenditure on eligible projects/schemes for social and economic uplift of the public has been calculated by first determining the difference between the depreciation/deduction debited to the profit and loss accounts by firms/AOPs/BOIs and the depreciation/deduction allowable under the Income-tax Act. Thereafter, the income tax rate of 30.90 per cent has been applied to this difference to arrive at the revenue impact of each tax incentive .

Based on the revenue impact for each tax incentive for financial year 2013-14, the revenue impact for the financial year 2014-15 has been estimated. The estimation for 2014-15 has been done by calculating the ratio of the actual income tax collections as per the Revised estimates in 2014-15 to the actual income-tax collected in the year 2013-14 and then applying the same ratio to the tax expenditure on account of each tax incentive in 2013-14. Table 6 depicts the major tax expenditures on non-corporate taxpayers in terms of tax expenditure during the financial years 2013-14 and 2014-15. The highest tax expenditure is on account of deduction of profits of cooperative societies which accounts for 40.33 per cent of the total revenue impact in this sector. The tax expenditure on account of deduction of profits derived by undertakings in North Eastern States , Sikkim , Himachal Pradesh and Uttarkhand was 21.42 per cent of the total tax expenditure.

* Effective tax rate in case of firms/AOPs/BOIs is the ratio of total taxes paid [including education cess] to the total profits before taxes [PBT] and expressed as a percentage.

Table 6: Revenue Impact of major tax Incentives for firms /AOP / BOI tax payers during financial years 2013-14 and 2014-15 [sample size - 678152]

Sl. No.	Nature of incentive/deduction	Revenue Impact (in ₹ Crore) [2013-14]	Projected Revenue Impact (in ₹ Crore) [2014-15]
1.	Deduction of export profits of units located in SEZs (section 10A and 10AA)	369.3	423.5
2.	Accelerated Depreciation (section 32)	542.7	622.4
3.	Deduction/weighted deduction for expenditure on scientific research (section 35 (1), (2AA) &(2AB))	23.9	27.4
4.	Deduction for expenditure on eligible projects or schemes for the social and economic uplift of the public (section 35AC)	10.3	11.8
5.	Deduction in respect of specified business (section 35AD)	86.4	99.1
6.	Deduction on account of donations to charitable trusts and institutions (section 80G)	49.1	56.3
7.	Deduction on account of contributions to political parties (section 80GGC)	7.3	8.4
8.	Deduction of profits of undertakings engaged in development of infrastructure facilities (section 80-IA)	50.2	57.6
9.	Deduction of profits of undertakings engaged in development of SEZs and Industrial Parks (section 80-IA)	88.2	101.2
10.	Deduction of profits of undertakings engaged in providing telecommunication services (section 80-IA)	9.9	11.4
11.	Deduction of profits of undertakings engaged in generation, transmission and distribution of power (section 80-IA)	143.4	164.4
12.	Deduction of profits of undertakings engaged in revival of power plant (section 80-IA)	5.8	6.7
13.	Deduction of profits of undertakings engaged in development of SEZs in pursuance to SEZ Act, 2005 (section 80-IAB)	3.3	3.8
14.	Deduction of profits of industrial undertakings located in Jammu & Kashmir (section 80-IB)	26.0	29.8
15.	Deduction of profits of industrial undertakings located in industrially backward States other than Jammu & Kashmir (section 80-IB)	2.0	2.3
16.	Deduction of profits of industrial undertakings located in backward districts (section 80-IB)	2.5	2.9
17.	Deduction of profits of industrial undertakings derived from housing projects (section 80-IB)	266.0	305.0
18.	Deduction of profits of industrial undertakings derived from operating a cold chain facility (section 80-IB)	0.6	0.7
19.	Deduction of profits of industrial undertakings derived from integrated business of handling, storage and transportation of food grains (section 80-IB)	2.0	2.3
20.	Deduction of profits of industrial undertakings derived from processing, preservation and packaging of fruits and vegetables (section 80-IB)	20.3	23.3
21.	Deduction of profits of undertakings set-up in North Eastern States (section 80-IC)	121.7	139.6
22.	Deduction of profits of undertakings set-up in Sikkim (section 80-IC)	244.2	280.1

Sl. No.	Nature of incentive/deduction	Revenue Impact (in ₹ Crore) [2013-14]	Projected Revenue Impact (in ₹ Crore) [2015-16]
23.	Deduction of profits of undertakings set-up in Uttarakhand (section 80-IC)	226.9	260.2
24.	Deduction of profits of undertakings set-up in Himachal Pradesh (section 80-IC)	367.2	421.2
25.	Deduction of profits from business of collecting and processing of bio-degradable waste (section 80JJA)	3.4	3.9
26.	Deduction in respect of certain incomes of Offshore Banking Units [OBUs] and International Financial Services Centre [IFSC] (section 80LA)	0.4	0.5
27.	Deduction in respect of hotels ,convention centres in specified areas (section 80-ID)	1.4	1.6
28.	Deduction in respect of profits of cooperative societies (Section 80P)	1807.9	2073.6
Total		4,482.3	5141.0

(C) Individual Taxpayers

Chapter VI-A of the Income-tax Act primarily provides for deduction on certain payments and deduction on certain incomes. Individual taxpayers are eligible to claim these deductions and have a wide range of tax preferences available to them. However, since approximately 50 per cent of the individual taxpayers derive their income primarily from salaries, the profit-linked deductions [i.e. deduction on certain business incomes] are not claimed by them. On the other hand, the group of non-salaried individuals claims both types of deductions.

The estimate of revenue impact of tax incentives granted to individual taxpayers is presented in Table 7. The tax impact under various sections of Chapter VI-A of the Income-tax Act has been estimated on the basis of various claims for tax preferences in the 1,79,72,169 returns filed electronically by individuals with the Income-tax Department till 30th November 2014. Apart from deductions under Chapter VI-A, the other major tax expenditure on individual taxpayers in the financial year 2013-14 was on account of the higher basic exemption limits for senior citizens (individuals aged 60 years or more) , and enhanced exemption limit of ₹ 5,00,000 for very senior citizens (individuals aged eighty years or more).

Based on the figures of the sample of 1,79,72,169 returns of income, the tax expenditure for the entire population of tax payers has been estimated as under:-

- (i) The revenue impact of higher basic exemption limits, as aforesaid (Sl. No. 24 and 25 of Table 7), has been calculated by multiplying the tax expenditure per senior citizen and very senior citizen with their respective numbers. Their respective numbers have been estimated by calculating the percentage of sample returns filed by them. Thereafter, this percentage has been applied to the estimate of total number of returns filed by individuals for financial year 2013-14. The total sample returns filed electronically with the Income-tax Department till 30th November 2014 is 1,79,72,169 . The total number of returns filed by individuals for financial year 2013-14 is estimated to be 3,56,71,213 by assuming a growth rate of 5 percent over the estimate of returns filed for the financial year 2012-13 which was 3,39,72,584. According to the sample returns, 9.40 per cent of the returns were filed by senior citizens and 0.5 per cent of the returns were filed by very senior citizens. Further, the revenue impact of a higher exemption limit available to senior citizens, has been calculated by taking into account the difference between the higher basic exemption limit [i.e. ₹ 2,50,000] as compared to the general exemption limit of ₹ 2,00,000 and applying the lowest tax rate of 10 per cent. (plus cess) on the difference. The tax expenditure for each senior citizen is ₹ 5,150. For a very senior citizen the exemption limit is ₹ 5,00,000 and the tax computed on such income amounting to ₹ 30,900 (inclusive of cess) is payable by an individual who is below the age of sixty years. This has been taken to be the revenue impact for each very-senior citizen. Thereafter, the tax expenditure on account of each such taxpayer (senior citizen and very-senior citizen) has been projected on the total estimate of the number of such tax payers above the general exemption limit of ₹ 2,00,000.
- (ii) Specifically, in the case of deduction under sections 80-IA, 80-IAB, 80-IB 80-IC and 80-ID (Sr. No. 14 to 18 of Table 7) the revenue impact or tax expenditure has been calculated on the assumption that the actual figure reflect the total claims made by individuals under these sections as all tax audited returns for income of F.Y. 2013-14 were subject to compulsory e-filing.

- (iii) In all other cases, the tax expenditure for the entire population of taxpayers is worked out by-
- First calculating the average tax expenditure for a particular incentive per taxpayer for each income slab which has a separate tax rate in the sample returns.
 - Secondly, multiplying the average tax expenditure for each incentive by the estimated number of individual taxpayers in that income slab in the total number of returns filed by individuals for financial year 2013-14.

This gives the tax expenditure for that income slab for a particular incentive. The sum of the tax expenditure for all the slabs gives the tax expenditure for the entire population on account of the particular tax incentive.

- (iv) Based on the tax expenditure figures for financial year 2013-14, the tax expenditure for the financial year 2014-15 has been estimated. The estimation for 2014-15 has been done by calculating the ratio of the personal income tax collections as per the revised estimates for 2014-15 to the actual personal income-tax collected in the year 2013-14 and then applying the same ratio to the tax expenditure on account of each tax incentive in 2013-14. As detailed above, Table 7 depicts the revenue impact of major tax incentives for individual tax payers, during the financial years 2013-14 and 2014-15.

Table 7 : Revenue Impact of major tax Incentives for individual tax payers during financial years 2013-14 and 2014-15

Sl. No.	Nature of incentive/deduction	Revenue Impact (in ₹ Crore) [2013-14]	Projected Revenue Impact (in ₹ Crore) [2014-15]
1.	Deduction on account of certain investments and payments (section 80C)	25491.3	29237.1
2.	Deduction on account of contribution to certain pension funds (section 80CCC)	127.3	146.0
3.	Deduction on account of contribution to the New Pension Scheme (section 80CCD)	85.1	97.6
4.	Deduction on account of investment in RGEES(section 80CCG)	10.2	11.7
5.	Deduction on account of health insurance premium (section 80D)	879.1	1008.3
6.	Deduction on account of expenditure for medical treatment of a dependent who is disabled (section 80DD)	166.9	191.4
7.	Deduction on account of expenditure for medical treatment of specified diseases (section 80DDB)	84.3	96.7
8.	Deduction on account of interest on loan taken for higher education (section 80E)	282.5	324.0
9.	Deduction on account of interest on housing loan (section 80EE)	47	53.9
10.	Deduction on account of donations to charitable trusts and institutions (section 80G)	368.7	422.9
11.	Deduction on account of rent paid for housing accommodation (section 80GG)	127.9	146.7
12.	Deduction on account of donations for scientific research or rural development (section 80GGA)	32.8	37.6
13.	Deduction on account of contributions given to political parties (section 80GGC)	27.9	32.0
14.	Deduction of profits of undertakings engaged in development of infrastructure facilities, SEZs and Industrial Parks, generation of power, and providing telecommunication services (section 80-IA)	58.8	67.4
15.	Deduction of profits of undertakings engaged in development of SEZs pursuant to SEZ Act, 2005 (section 80-IAB)	3	3.4

Sl. No.	Nature of incentive/deduction	Revenue Impact (in ₹ Crore) [2013-14]	Projected Revenue Impact (in ₹ Crore) [2014-15]
16.	Deduction of profits of industrial undertakings derived from housing projects, production of mineral oil, development of scientific research, integrated business of handling, storage and transportation of food grains and of industrial undertakings located in Jammu & Kashmir and in other backward areas (section 80-IB)	82	94.0
17.	Deduction of profits of undertakings set-up in North Eastern States, Sikkim, Uttaranchal and Himachal Pradesh (section 80-IC)	244.2	280.1
18.	Deduction in respect of hotels, convention centres in specified areas (section 80-ID)	2.4	2.8
19.	Deduction of profits from business of collecting and processing of bio-degradable waste (section 80JJA)	7.8	8.9
20.	Deduction of royalty income of authors of certain books other than text books (section 80QQB)	9.5	10.9
21.	Deduction of royalty income on patents (section 80RRB)	0.8	0.9
22.	Deduction on account of interest in savings account (section 80TTA)	555.1	636.7
23.	Deduction in case of a person with disability (section 80U)	137.2	157.4
24.	Higher exemption limit for senior citizens	1456.4	1670.4
25.	Higher exemption limit for very senior citizens	483.6	554.8
Total		30771.8	35293.6

The revenue impact of providing a tax incentive for investments in various savings instruments, repayment of housing loan and payment of tuition fees for children [all these come under section 80C of the Income-tax Act] is the single largest tax expenditure in case of individual taxpayers followed by deduction on account of health insurance premium (section 80D) and interest in savings bank account (section 80TTA). The tax expenditure on account of higher basic exemption limits for senior citizens and very senior citizens are also significant. As regards profit-linked deductions, the highest tax expenditure is on account of section 80-IB and section 80-IC of the Income-tax Act, 1961.

D) Charitable entities:

The Income-tax Act provides for exemptions to various entities including government funded entities engaged in objects which are charitable in nature. In addition to this, specific exemption is also available to entities engaged in certain activities which satisfy social purposes. These entities receive donations, voluntary contributions and have other incomes from activities which are charitable in nature. The total receipts of such entities are required to be applied for the purposes for which these have been set up. These entities are required to file an income tax return. The total number of electronically filed returns of such entities till 30th November 2014, during the financial year 2014-15 is 99,076. The total amount applied by such entities for charitable and religious purposes in India is ₹ 2,25,472 crores.

Indirect Taxes

A. Excise duties

Excise duty is levied as per the rates specified in the First and Second Schedules to the Central Excise Tariff Act, 1985. In many cases, various Finance Acts specify the rates at which these duties are to be levied. The rates specified in various enactments are known as the “**Tariff rates**” of excise duty. However, powers have been delegated to Central Government under section 5A(1) of the Central Excise Act, 1944 to issue exemption notifications in public interest so as to prescribe duty rates lower than the Tariff rates. The rates prescribed by such exemption notifications are known as the “**effective rates**”.

Revenue impact of tax incentives is defined as the difference between duty that would have been payable but for an exemption notification and the actual duty paid in terms of such notification –

- In cases where the tariff and effective rates of duty are ad valorem rates,- **Revenue impact of tax incentives = Value of goods X (Tariff rate of duty - Effective rate of duty)**
- In cases where the tariff rate is ad valorem basis but the effective duty is specific, then – **Revenue impact of tax incentives = (Value of goods X Tariff rate of duty) - (Quantity of goods X Effective rate of specific duty)**
- In cases where the tariff rates and effective rates are a combination of ad valorem and specific rates revenue impact of tax incentives is calculated accordingly
- In all cases, where the tariff rate equals the effective rate, revenue impact of tax incentives will be zero.

Besides, powers to issue general exemption notifications under section 5A(1) *ibid*, the Central Government also has the powers to issue special orders for granting excise duty exemption on a case to case basis under circumstances of an exceptional nature, *vide* section 5A(2) of the Central Excise Act. However, unlike general exemptions which form part and parcel of fiscal policy of the Central Government, the main object behind issue of exemption orders is to deal with circumstances of exceptional nature. As such, the revenue impact on account of issue of special exemption orders is not being taken towards revenue impact of tax incentives figures.

Automation of Central Excise & Service Tax (ACES) system has been launched in all the Central Excise formations across the country. The figure of revenue impact of tax incentives for 2013-14 was based on ACES data, which, among other things, captures the data contained in returns filed by assesses. The revenue impact due to the operation of area based exemption schemes was obtained separately from the concerned Central Excise Zones. In this manner, the revenue impact of tax incentives for the financial year 2013-14 was provisionally estimated at ₹ 1,95,679 Crore [₹ 1,77,680 Crore (general exemption) + ₹ 17,999 Crore (area based exemption)].

The estimated revenue impact of tax incentives for the financial year i.e. 2014-15 has been estimated using the extrapolation method based on ACES data for part of the year i.e April to October, 2014. Accordingly, the revenue impact of tax incentives for the financial year 2014-15 is estimated at ₹ 1, 84,764 Crore [₹ 1, 67,480 Crore (general exemption) and ₹ 17,284 Crore (area based exemption)].

The figure of ₹ 1,84,764 Crore (estimated) show a decrease of 5.8% over last year’s revised figure of ₹ 1,96,223 Crore, as compared to a degrowth of 1.8% in excise revenue collection during April to October, 2014 over same period during the preceding financial year.

As for area-based exemptions, there are two types of exemption schemes currently in operation –

- Based on refunds (North East and J & K) and
- Outright exemption (Himachal Pradesh and Uttarakhand).

In the case of refund-based exemptions, the revenue impact is computed by aggregating the refunds actually sanctioned to the individual units. As for outright exemptions, the revenue impact is calculated using the difference between the general effective rate and the duty actually paid - Nil.

The revenue impact of tax incentives in central excise duty regime are given below.

Table 8 : Revenue impact of tax incentives under Excise duty regime

Sl. No.	Details of Exemption	Revenue impact (in ₹crore)		
		Estimates	Revised	Estimates
1	Area based exemptions applicable in the North Eastern states, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir	17999	18543	17284
2	Others	177680	177680	167480
	Total	195679	196223	184764

B. Customs duties

Customs duty on goods is levied under the Customs Act, 1962 at rates specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. On exports, export duty is levied under the Customs Act, 1962 at rates specified in the Second Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. In addition, the Customs Tariff Act, 1975 provides for levy of-

- Additional duty of customs [sub-section (1) of section 3] (commonly referred to as countervailing duty or CV duty), and
- Additional duty of customs [sub-section (5) of section 3] (commonly referred to as SAD) levied at the rate of 4%.

These rates are known as "**Tariff Rates**". However, the Central Government has been delegated powers of exemption under section 25(1) of the Customs Act, 1962 to issue notifications, in public interest, so as to prescribe duty rates lower than the tariff rates. These rates, prescribed by notifications, are known as the "**effective rates**".

The revenue impact of tax incentives in customs duty regime is calculated in the same manner as in case of revenue impact of tax incentives in central excise duty regime.

Estimate of revenue impact of tax incentives under various exemption notifications is based on the data generated from the Bills of Entry filed by importers in the Indian Customs Electronic Data Interchange System (ICES) at various Electronic Data Interchange (EDI) locations. Since the EDI system does not capture data in respect of imports through non-EDI locations or where the EDI system is not fully operational or where Bills of Entry are still being filed manually, suitable adjustments have been made in order to arrive at the total picture of revenue impact of tax incentives. Revenue impact data takes into account the exemptions from basic customs duty, CV duty and also exemption notifications issued under the Central Excise Act, 1944 which are relevant for levy of CV duty. It also takes into account exemptions from SAD of 4%.

By the time the Budget 2014-15 was presented, the actual figures of revenue impact of tax incentives under customs duty regime for the year 2013-14 were available. The same have remained unchanged.

For working out the estimated revenue impact of tax incentives for the year 2014-15, the methodology used in previous years has been adopted. The EDI has captured 90.35% of the actual reported gross customs revenue collection this year. As per EDI data, estimated revenue impact of tax incentives for the financial year i.e. 2014-15 (April to December, 2014) is ₹ 2, 31,472 Crore. After extrapolation for data not captured by EDI, the estimated revenue impact of tax incentives for the whole year 2014-15 comes to ₹ 3,41,592 Crore. This revenue impact, however, includes export-related input taxes. Many of these schemes provide input tax neutralization to ensure that we do not export taxes. Thus, the revenue impact of tax incentives from these schemes has been excluded from estimated revenue impact of tax incentives. After deducting the revenue impact of tax incentives from the various export promotion schemes but including the revenue impact from incentive schemes mentioned at Sr. no. 14 of the Table 11 below, the net revenue impact of tax incentives for the year 2014-15 works out to ₹ 3,01,688 Crore [₹ 3,41,592 Crore – ₹ 39,904 Crore].

The estimated revenue impact of tax incentives during 2014-15 is about 15.7% higher than that during 2013-14. During the same period customs duty collections have increased by 9.7%. Partly, the increase in revenue impact of tax incentives is on account of increased imports and depth of concessions under various Free Trade Agreements, reduction in CVD on capital goods, consumer durables, and motor vehicles as part of stimulus package.

The revenue impact of tax incentives under customs duty regime for the period 2013-14 and 2014-15 on account of major commodity groups and their share in overall revenue impact is given below:

Table 9: Contribution of major commodity groups to revenue impact of tax incentives

Sector	2013-14		2014-15 (Estimated)	
	Revenue impact (₹ crore)	% Share in total revenue impact	Revenue impact (₹ crore)	% Share in total revenue impact
Crude oil and mineral oils (27)	77851	26%	72180	24%
Machinery (84& 85)	30252	10%	31664	10%
Diamond and gold (71)	48635	16%	75592	25%
Edible vegetable, fruits, cereals, vegetable oils (7, 8, 10, 15)	44122	14%	57511	19%

Sector	2013-14		2014-15 (Estimated)	
	Revenue impact (₹ crore)	% Share in total revenue impact	Revenue impact (₹ crore)	% Share in total revenue impact
Primary metals and articles				
thereof (72 to 83)	12889	4%	15219	5%
Chemicals and plastics (28, 29, 39)	19730	6%	18812	6%
Textile (50 to 63)	23177	8%	15851	5%
Fertilizer (31)	4961	2%	6051	2%
Salt and ores (25 to 26)	3527	1%	5018	2%
Drugs (30)	1053	0	1028	0
Total	266197	87%	298926	98%

The revenue impact of tax incentives for each of the chapters of Customs Tariff Act is given below:

Table 10: Estimates of revenue impact of tax incentives under the Customs duty regime

(₹ in Crore)

Chapter	Brief Description of Goods	2013-14	2014-15 (Estimated)
1	Live animals	4	4
2	Meat and edible meat offal	8	14
3	Fish and crustaceans, other aquatic invertebrates	56	74
4	Dairy Products	41	70
5	Other products of animal origin	52	46
6	Live trees and other plants	3	3
7	Edible vegetables, certain roots and tubers	4593	6244
8	Edible fruit and nuts	1912	3512
9	Coffee, tea, mate and spices	1583	2257
10	Cereals	107	110
11	Products of the milling industry	58	61
12	Oilseeds, grains, seeds, fruits	425	318
13	Lac, gums and resins	267	288
14	Vegetable plaiting materials	13	23
15	Animal of vegetable fats	37510	47645
16	Preparations of meat or fish	9	10
17	Sugar	2592	2703
18	Cocoa	219	359
19	Preparations of cereals	34	65
20	Preparation of vegetables	53	65
21	Miscellaneous edible preparations	565	514
22	Beverages and spirits	207	361
23	Residues and waste from food industry	305	368
24	Tobacco	127	102

Chapter	Brief Description of Goods	2013-14	2014-15 (Estimated)
25	Salt, sulphur earths and stone	1183	1519
26	Ores	2344	3499
27	Mineral fuels and mineral oils	77851	72180
28	Inorganic chemicals	4246	5097
29	Organic chemicals	11666	12687
30	Pharmaceutical products	1053	1028
31	Fertilizers	4961	6051
32	Tanning and dyeing extracts, pigments	560	647
33	Essential oils	454	488
34	Soap and washing preparations	205	249
35	Albuminoidal substances	166	159
36	Explosives, matches	25	14
37	Photography goods	48	53
38	Miscellaneous chemical products	1911	1783
39	Plastics	3817	4782
40	Rubber	2464	2088
41	Hide and skins and leather	364	440
42	Articles of leather	40	45
43	Fur skins	4	5
44	Wood	2408	2310
45	Cork	1	1
46	Manufactures of straw	0	0
47	Wood Pulp	973	1141
48	Paper	1482	1592
49	Printed books, newspapers	503	1121
50	Silk	327	306
51	Wool	204	214
52	Cotton	939	692
53	Other vegetable fibres	138	200
54	Manmade filaments	8915	6992
55	Man made staple fibres	784	1160
56	Wadding and non woven	79	106
57	Carpets	52	48
58	Special woven fabrics	10391	4541
59	Coated textile fabrics	646	664
60	Knitted fabrics	321	376
61	Knitted readymade garments	91	152
62	Woven garments	165	302
63	Made ups	124	98
64	Footwear	250	328

Chapter	Brief Description of Goods	2013-14	2014-15 (Estimated)
65	Head gear	3	2
66	Umbrellas	11	12
67	Feathers/artificial flowers	5	2
68	Articles of stone, plaster	218	213
69	Ceramic Products	174	236
70	Glass and glass ware	280	289
71	Precious stones, jewellery	48635	75592
72	Iron and steel	6303	7969
73	Articles of iron and steel	2591	2697
74	Copper and articles thereof	1370	1466
75	Nickel and articles thereof	153	213
76	Aluminum and articles thereof	1176	1423
78	Lead and articles thereof	196	262
79	Zinc and articles thereof	94	194
80	Tin and articles thereof	93	99
81	Other base metals	161	140
82	Tools and implements	528	515
83	Miscellaneous articles of base metals	225	241
84	Machinery	16429	15468
85	Electrical machinery	13823	16196
86	Railways or tramways locomotives, rolling stocks etc.	112	152
87	Motor vehicles	2078	1914
88	Aircrafts	2719	2553
89	Ships, boats and floating structures	4017	2322
90	Optical/photographic instruments	3987	3994
91	Clocks and watches	16	40
92	Musical instruments	6	10
93	Arms and ammunitions	1909	1043
94	Furniture	412	446
95	Toys and games	345	329
96	Miscellaneous manufactured articles	1399	1638
97	Work of art, antiques	276	51
98	Project imports, baggage	3857	3496
Total		306500	341592

These figures include revenue impact of tax incentives from the working of various export promotion schemes other than from drawback. The break-up of revenue impact from individual export promotion schemes is given below, separately. Out of these schemes, Duty Free Entitlement Credit Certificate, Target Plus, Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana (VKGUY), Served from India and Focus Market / Product are incentive schemes. The revenue impact from these schemes has been taken into account while calculating the duty impact on account of exemption notifications. The remaining schemes are either exemption schemes or input tax neutralization schemes, the basic objective of which is to offer a level playing field to our exporters in the international markets. As these are not export incentive schemes, the revenue impact from the schemes has been excluded from the calculation of revenue impact, as indicated in Table 11 hereunder.

Table 11: Revenue impact on account of Export Promotion Concessions

		(₹ in Crore)	
S. No.	Name of the Scheme	2013-14	2014-15 (Estimated)
1	Advance Licence Scheme	20956	21842
2	EOU/EHT/STP	5840	3789
3	EPCG	8990	6784
4	DEPB Scheme	434	126
5	SEZ	6198	5532
6	DFRC	2	1
7	Duty Free Import Authorisation Scheme	3365	1830
8	Duty Free Entitlement Credit Certificate	235	231
9	Target plus schemes	884	404
10	Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana	2442	3311
11	Served from India Scheme	639	584
12	Focus Market/Product Scheme	10182	12798
13	TOTAL	60168	57232
14	Less revenue impact on incentive schemes maintained at S.Nos. 8 to 12	14382	17328
15	Revenue impact on account of input tax neutralization or exemption schemes to be reduced from gross revenue impact on account of customs duty	45786	39904

These aforesaid estimates of revenue impact do not include revenue impact on account of ad hoc exemption orders issued under Section 25(2) of the Customs Act, 1962, which are extended in specific cases taking into consideration circumstances of exceptional nature.

The revenue impact in respect of Direct and Indirect Taxes is summarized as under:

Table 12: Revenue Impact of tax incentives (Direct Taxes) in financial years 2013-14 and 2014-15

		(in ₹ Crore)	
	Revenue impact of tax incentives in 2013-14	Projected Revenue impact of tax incentives in 2014-15	
Corporate Income-tax	57793.0	62398.6	
Personal Income-tax	35254.1	40434.6	
Total	93047.1	102833.2	

Table 13: Revenue impact of tax incentives (Indirect Taxes) in financial years 2013-14 and 2014-15

		(in ₹ Crore)	
	Revenue impact of tax incentives in 2013-14	Revenue impact of tax incentives in 2014-15 (Estimated)	
Excise Duty	1,96,223	1,84,764	
Customs duty	2,60,714	3,01,688	
Total	4,56,937	4,86,452	

The aggregate revenue impact of incentives available in respect of direct and indirect taxes (levied by the Central Government) is ₹ 549984.1 crore for 2013-14 and is projected to be ₹ 589285.2 crore for 2014-15. To conclude, the total revenue impact of tax incentives for Financial Year 2013-14 is lower as compared to the total revenue impact of tax incentives for Financial Year 2012-13.

APPENDIX

Effective tax rate , inclusive of surcharge and education cess , of sample companies across Industry
(financial year 2013-14)[sample size 564787]

Sl. No	Sector	Industry	Number of Companies	Profit before tax (in ₹ crore)	Total tax payable (in ₹ crore)	Effective tax rate (in %)
1.	Manufacturing Industry	AGRO-BASED INDUSTRIES	16445	13048.99	2975.33	22.8
2.	Manufacturing Industry	AUTOMOBILE AND AUTO PARTS	4522	39913.04	9694.59	24.29
3.	Manufacturing Industry	CEMENT	707	10838.31	632.52	5.84
4.	Manufacturing Industry	DIAMOND CUTTING	447	2310.53	616.43	26.68
5.	Manufacturing Industry	DRUGS AND PHARMACEUTICALS	5331	44097.99	8586.05	19.47
6.	Manufacturing Industry	ELECTRONICS INCLUDING COMPUTER HARDWARE	2453	10167.87	3180.04	31.28
7.	Manufacturing Industry	ENGINEERING GOODS	9765	35751.61	10602.31	29.66
8.	Manufacturing Industry	FERTILIZERS, CHEMICALS, PAINTS	3823	17307.37	4369.22	25.24
9.	Manufacturing Industry	FLOUR AND RICE MILLS	1471	1101.42	261.19	23.71
10.	Manufacturing Industry	FOOD PROCESSING UNITS	2991	9461.04	2650.01	28.01
11.	Manufacturing Industry	MARBLE AND GRANITE	2037	1125.10	319.73	28.42
12.	Manufacturing Industry	PAPER	1366	2124.04	293.06	13.80
13.	Manufacturing Industry	PETROLEUM AND PETROCHEMICALS	667	98616.19	18597.66	18.86
14.	Manufacturing Industry	POWER AND ENERGY	4923	53963.81	8000.82	14.83
15.	Manufacturing Industry	PRINTING AND PUBLISHING	2590	5026.48	1509.14	30.02
16.	Manufacturing Industry	RUBBER	912	956.16	417.79	43.69
17.	Manufacturing Industry	STEEL	4473	21705.15	3832.36	17.66
18.	Manufacturing Industry	SUGAR	307	547.46	87.35	15.95
19.	Manufacturing Industry	TEA,COFFEE	1023	2360.39	425.71	18.04
20.	Manufacturing Industry	TEXTILES,HANDLOOM,POWER LOOMS	9715	12545.84	2672.25	21.30
21.	Manufacturing Industry	TOBACCO	291	14596.64	4331.43	29.67
22.	Manufacturing Industry	TYRE	159	4256.77	873.47	20.52
23.	Manufacturing Industry	VANASPATI AND EDIBLE OILS	617	1486.41	299.05	20.12
24.	Manufacturing Industry	OTHERS	53008	126068.10	31039.89	24.62
25.	Trading	CHAIN STORES	660	773.85	249.41	32.23
26.	Trading	RETAILERS	14956	5198.18	1333.35	25.65
27.	Trading	WHOLESALEERS	23368	8680.35	2757.83	31.77
28.	Trading	OTHERS	86785	22911.03	5774.60	25.20
29.	Commision Agents	GENERAL COMMISSION AGENTS	4060	1097.79	326.49	29.74
30.	Builders	BUILDERS	20187	7550.06	1769.69	23.44
31.	Builders	ESTATE AGENTS	3659	746.16	180.95	24.25

Sl. No	Sector	Industry	Number of Companies	Profit before tax (in ₹ crore)	Total tax payable (in ₹ crore)	Effective tax rate (in %)
32.	Builders	PROPERTY DEVELOPERS	29557	14714.48	3106.58	21.11
33.	Builders	OTHERS	21340	4662.17	811.47	17.41
34.	Contractors	CIVIL CONTRACTORS	10097	11871.85	2952.19	24.87
35.	Contractors	EXCISE CONTRACTORS	24	7.83	6.44	82.23
36.	Contractors	FOREST CONTRACTORS	11	0.02	0.01	23.83
37.	Contractors	MINING CONTRACTORS	809	15711.98	1136.49	7.23
38.	Contractors	OTHERS	10705	6268.39	1887.76	30.12
39.	Professionals	CHARTED ACCOUNTANTS, AUDITORS, ETC.	97	13.34	4.23	31.73
40.	Professionals	FASHION DESIGNERS	112	20.45	4.98	24.34
41.	Professionals	LEGAL PROFESSIONALS	322	32.39	10.19	31.47
42.	Professionals	MEDICAL PROFESSIONALS	1593	279.02	76.03	27.25
43.	Professionals	NURSING HOMES	995	220.12	62.28	28.29
44.	Professionals	SPECIALTY HOSPITALS	1165	1454.24	379.72	26.11
45.	Professionals	OTHERS	5995	1640.54	408.79	24.92
46.	Service Sector	ADVERTISEMENT AGENCIES	2909	1730.30	563.08	32.54
47.	Service Sector	BEAUTY PARLOURS	280	29.75	10.51	35.32
48.	Service Sector	CONSULTANCY SERVICES	17877	9645.64	2346.00	24.32
49.	Service Sector	COURIER AGENCIES	488	409.62	150.39	36.71
50.	Service Sector	COMPUTER TRAINING/EDUCATIONAL AND COACHING INSTITUTES	3298	1068.00	313.74	29.38
51.	Service Sector	FOREX DEALERS	797	264.15	84.75	32.08
52.	Service Sector	HOSPITALITY SERVICES	4549	1019.16	281.18	27.59
53.	Service Sector	HOTELS	6753	2085.51	494.15	23.69
54.	Service Sector	I.T. ENABLED SERVICES, BPO SERVICE PROVIDERS	12829	42090.55	10251.09	24.35
55.	Service Sector	SECURITY AGENCIES	1839	686.35	238.87	34.80
56.	Service Sector	SOFTWARE DEVELOPMENT AGENCIES	11395	79365.48	17838.73	22.48
57.	Service Sector	TRANSPORTERS	4373	4954.02	1077.63	21.75
58.	Service Sector	TRAVEL AGENTS, TOUR OPERATORS	4269	1051.48	342.73	32.59
59.	Service Sector	OTHERS	63946	87894.17	18894.67	21.50
60.	Financial Service Sector	BANKING COMPANIES	243	115915.85	28914.21	24.94
61.	Financial Service Sector	CHIT FUNDS	2544	483.17	142.12	29.41

Sl. No	Sector	Industry	Number of Companies	Profit before tax (in ₹ crore)	Total tax payable (in ₹ crore)	Effective tax rate (in %)
62.	Financial Service Sector	FINANCIAL INSTITUTIONS	498	12655.95	3949.41	31.21
63.	Financial Service Sector	FINANCIAL SERVICE PROVIDERS	2706	7137.17	1923.58	26.95
64.	Financial Service Sector	LEASING COMPANIES	507	1770.00	32.63	1.84
65.	Financial Service Sector	MONEY LENDERS	352	64.03	14.48	22.61
66.	Financial Service Sector	NON BANKING FINANCE COMPANIES	8507	53827.09	14033.93	26.07
67.	Financial Service Sector	SHARE BROKERS, SUB-BROKERS, ETC.	3847	4122.13	1195.10	28.99
68.	Financial Service Sector	OTHERS	17975	32386.40	11195.23	34.57
69.	Entertainment Industry	CABLE T.V. PRODUCTIONS	411	164.16	45.69	27.83
70.	Entertainment Industry	FILM DISTRIBUTION	350	1271.38	117.38	9.23
71.	Entertainment Industry	FILM LABORATORIES	38	3.22	1.75	54.41
72.	Entertainment Industry	MOTION PICTURE PRODUCERS	635	229.78	45.16	19.66
73.	Entertainment Industry	TELEVISION CHANNELS	369	2485.31	768.73	30.93
74.	Entertainment Industry	OTHERS	4490	2954.64	795.19	26.91
75.	Other Sectors	OTHERS	19173	9500.28	2288.59	24.09
Total			564787	1110495.68	257857.57	23.22